

(1)

**RCT No. -1142/2023**  
म0प्र0 राज्य विरुद्ध स्वपन पॉल व अन्य

**न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम, (म.प्र.)**  
**-: पीठासीन अधिकारी -फिरोज अख्तर:-**

Registration No.	RCT-1142/2023
Filing No.	RCT-4178/2023
CNR No.	MP0501-005095-2023
Date of Filing	29-11-2023
Date of Registration	29-11-2023

टाइगर स्ट्राइक फोर्स नर्मदापुरम (भोपाल) म.प्र. के वन अपराध क्रमांक 237/11 दिनांक 30.09.2023 अंतर्गत धारा 9, 39, 48ए, 49, 49बी, 51 एवं 57 वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा-संशोधित, 2022) से उद्भूत आपराधिक प्रकरण

// निर्णय //

(आज दिनांक 12/07/2025 को घोषित)

**RCT Case No.-1142/2023**

अभियोजन	मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा टाइगर स्ट्राइक फोर्स नर्मदापुरम (भोपाल) म.प्र.
अभियोजन द्वारा	श्री अरुण पठारिया ए.डी.पी.ओ
अभियुक्त	1. स्वपन पॉल आत्मज भागीरथ पॉल आयु लगभग 43 वर्ष निवासी रघुनाथपुर मधुपल्ली पोस्ट कमलपुर दुर्गापुर जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल 2. नरोत्तम सरकार आत्मज नवोकुमार सरकार आयु लगभग 50 वर्ष निवासी

**Continued Page No (2)**

(2)

**RCT No. -1142/2023**  
म0प्र0 राज्य विरुद्ध स्वपन पॉल व अन्य

	<p>कठालपुली तहसील चाकदहा जिला नादिया, पश्चिम बंगाल</p> <p>3. अभिषेक उर्फ राजा आत्मज श्रीनिवास विश्वास आयु लगभग 26 वर्ष निवासी साकेत धर्मकांटा जिला अयोध्या उत्तरप्रदेश</p> <p>4. सुग्रीव गौंड आत्मज रमाशंकर गौंड आयु लगभग 44 वर्ष पता- ग्राम पोस्ट गांधीनगर महरिखवां अमहुत जिला बस्ती उत्तरप्रदेश</p> <p>अन्य पता- ग्राम भिखीकापुरवा दर्शन नगर अयोध्या उत्तरप्रदेश</p>
अभियुक्त स्वपन पॉल व राजा उर्फ अभिषेक द्वारा	श्री प्रीतम सिंह ठाकुर अधिवक्ता उपस्थित
अभियुक्त नरोत्तम सरकार द्वारा	श्री पंकज तिवारी अधिवक्ता उपस्थित
अभियुक्त सुग्रीव गौंड द्वारा	श्री राजेंद्र सगर अधिवक्ता उपस्थित
अपराध की तारीख	30.09.2023
पी.ओ.आर की तारीख	30.09.2023
आरोपों के विरचना की तारीख	05.12.2024
साक्ष्य प्रारम्भ किए जाने की तारीख (आरोप पूर्व साक्ष्य)	13.12.2023
निर्णय हेतु सुरक्षित किए जाने की तारीख	12.07.2025
निर्णय की तारीख	12.07.2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	कंडिका क्रमांक 98 के अनुसार दिनांक 12.07.2025

**Continued Page No (3)**

(3)

**RCT No. -1142/2023**  
म0प्र0 राज्य विरुद्ध स्वपन पॉल व अन्य**अभियुक्त का विवरण**

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोष मुक्ति या दोष सिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	द.प्र.स की धारा 428 प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	स्वपन पॉल	01.10. 2023	---	वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2006) की धारा 48ए, 44, 49/51 (1)	दोष सिद्धि	कंडिका क्रमांक 98 के अनुसार	01.10. 2023 से निरंतर
2	नरोत्तम सरकार	01.10. 2023	---	वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2006) की धारा 48ए, 44, 49/51(1)	दोष सिद्धि	कंडिका क्रमांक 98 के अनुसार	01.10. 2023 से निरंतर

Continued Page No (4)

(4)

**RCT No. -1142/2023**  
म0प्र0 राज्य विरुद्ध स्वपन पॉल व अन्य

3	अभिषेक उर्फ राजा	04.10. 2023	16.01. 2024	वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2006) की धारा 44, 49/51(1)	दोष सिद्धि	कंडिका क्रमांक 98 के अनुसार	104 दिवस
4	सुग्रीव गौंड	10.12. 2023	09.02. 2024	वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2006) की धारा 44, 49/51(1)	दोष सिद्धि	कंडिका क्रमांक 98 के अनुसार	61 दिवस

**अभियोजन के साक्षियों की सूची**

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.1	अनिल कुमार यादव	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.2	प्रदीप पाण्डेय	स्वतंत्र साक्षी
अ.सा.3	दिनेश कुमार शर्मा	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.4	राजू सिंह राजपूत	वन विभाग के साक्षी/विवेचक साक्षी
अ.सा.5	दिलीप सिंह पटेलिया	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.6	अंकित जामोद	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.7	डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा	वन्य प्राणी चिकित्सक
अ.सा.8	प्रतीक गर्ग	आसूचना अधिकारी
अ.सा.9	मुकेश कुमार पटेल	वन विभाग के साक्षी

**Continued Page No (5)**

(5)

**RCT No. -1142/2023**  
**म0प्र0 राज्य विरुद्ध स्वपन पॉल व अन्य**

अ.सा.10	आकाशगीत त्रिपाठी	अधीक्षक
अ.सा.11	विनोद सिंह	वन विभाग के साक्षी

**बचाव साक्षियों की सूची**

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
निरंक	निरंक	निरंक

**अभियोजन प्रदर्शों की सूची-**

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.-1 / अ.सा.1 / 19.01.2024	स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा मुकेश कुमार पटेल व अनिल कुमार यादव को लिखा गया पत्र
2	प्रदर्श पी.-2 / अ.सा.1 / 19.01.2024	पंचनामा
3	प्रदर्श पी.-3 / अ.सा.1 / 19.01.2024	जप्तीनामा
4	प्रदर्श पी.-4 / अ.सा.1 / 19.01.2024	जप्तीनामा
5	प्रदर्श पी.-5 / अ.सा.1 / 19.01.2024	नजरी नक्शा
6	प्रदर्श पी.-6 / अ.सा.1 / 19.01.2024	पी.ओ.आर
7	प्रदर्श पी.-7 / अ.सा.1 / 19.01.2024	गिरफ्तारी सूचना पत्र
8	प्रदर्श पी.-8 / अ.सा.1 / 19.01.2024	गिरफ्तारी सूचना पत्र
9	प्रदर्श पी.-9 / अ.सा.1 / 19.01.2024	जामा तलाशी प्रपत्र
10	प्रदर्श पी.-10 / अ.सा.1 / 19.01.2024	जप्तीनामा
11	प्रदर्श पी.-11 / अ.सा.1 / 19.01.2024	अभिषेक उर्फ राजा विश्वास के केस डायरी पूछताछ कथन
12	प्रदर्श पी.-12 / अ.सा.1 / 19.01.2024	गिरफ्तारी पंचनामा
13	प्रदर्श पी.-13 / अ.सा.1 / 19.01.2024	गिरफ्तारी सूचना पत्र
14	प्रदर्श पी.-14 / अ.सा.1 / 19.01.2024	पंचनामा

**Continued Page No (6)**

(6)

**RCT No. -1142/2023**  
**म0प्र0 राज्य विरुद्ध स्वपन पॉल व अन्य**

15	प्रदर्श पी.-15 / अ.सा.1 / 19.01.2024	पंचनामा
16	प्रदर्श पी.-16 / अ.सा.1 / 19.01.2024	अनिल कुमार यादव के बयान
17	प्रदर्श पी.-17 / अ.सा.3 / 12.07.2024	जामा तलाशी प्रपत्र
18	प्रदर्श पी.-18 / अ.सा.3 / 12.07.2024	जप्तीनामा
19	प्रदर्श पी.-19 / अ.सा.3 / 12.07.2024	गिरफ्तारी पंचनामा
20	प्रदर्श पी.-20 / अ.सा.3 / 12.07.2024	जामा तलाशी प्रपत्र
21	प्रदर्श पी.-21 / अ.सा.3 / 12.07.2024	जप्तीनामा
22	प्रदर्श पी.-22 / अ.सा.3 / 12.07.2024	गिरफ्तारी पंचनामा
23	प्रदर्श पी.-23 / अ.सा.3 / 12.07.2024	स्वपन के कबूलियत बयान
24	प्रदर्श पी.-24 / अ.सा.3 / 12.07.2024	नरोत्तम के कबूलियत बयान
25	प्रदर्श पी.-25 / अ.सा.3 / 12.07.2024	मौका पंचनामा
26	प्रदर्श पी.-26 / अ.सा.3 / 12.07.2024	अभिषेक उर्फ राजा के कबूलियत बयान
27	प्रदर्श पी.-27 / अ.सा.3 / 12.07.2024	दिनेश कुमार शर्मा के बयान
28	प्रदर्श पी.-28 / अ.सा.4 / 08.08.2024	अग्रिम विवेचना हेतु लिखा गया पत्र
29	प्रदर्श पी.-29 / अ.सा.4 / 08.08.2024	धारा 50(8) के अंतर्गत कथन लेने बाबत् लिखा गया पत्र
30	प्रदर्श पी.-30 / अ.सा.4 / 08.08.2024	सी.डी.आर प्रदाय करने बाबत् लिखा गया पत्र
31	प्रदर्श पी.-31 / अ.सा.4 / 08.08.2024	कछुओं का परीक्षण करने बाबत् लिखा गया पत्र
32	प्रदर्श पी.-32 / अ.सा.4 / 08.08.2024	धारा 50(8) के अंतर्गत कथन लेने बाबत् लिखा गया पत्र
33	प्रदर्श पी.-33 / अ.सा.4 / 08.08.2024	सी.डी.आर प्रदाय करने बाबत् लिखा गया पत्र
34	प्रदर्श पी.-34 / अ.सा.4 / 08.08.2024	सी.डी.आर प्रदाय करने बाबत् लिखा

**Continued Page No (7)**

(7)

**RCT No. -1142/2023**  
**म0प्र0 राज्य विरुद्ध स्वपन पॉल व अन्य**

		गया पत्र
35	प्रदर्श पी.-35 / अ.सा.4 / 08.08.2024	साक्ष्य अधि. की धारा 65 बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र
36	प्रदर्श पी.-36 / अ.सा.4 / 08.08.2024	अभियुक्तगणों के बीच हुई बात का रिकॉर्ड
37	प्रदर्श पी.-37 / अ.सा.4 / 08.08.2024	साक्ष्य अधि. की धारा 65 बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र
38	प्रदर्श पी.-38 / अ.सा.4 / 08.08.2024	समंस
39	प्रदर्श पी.-39 / अ.सा.4 / 08.08.2024	समंस
40	प्रदर्श पी.-40 / अ.सा.4 / 08.08.2024	प्रदीप पाण्डेय के बयान
41	प्रदर्श पी.-41 / अ.सा.4 / 08.08.2024	सौम्य मालवीय के कथन
42	प्रदर्श पी.-42 / अ.सा.5 / 26.09.2024	दिलीप सिंह पटेलिया के पुलिस कथन
43	प्रदर्श पी.-43 / अ.सा.5 / 26.09.2024	सुग्रीव गौंड का गिरफ्तारी पंचनामा
44	प्रदर्श पी.-44 / अ.सा.5 / 26.09.2024	जामा तलाशी प्रपत्र
45	प्रदर्श पी.-45 / अ.सा.5 / 26.09.2024	पंचनामा
46	प्रदर्श पी.-46 / अ.सा.5 / 26.09.2024	सुग्रीव गौंड के कबूलियत बयान
47	प्रदर्श पी.-47 / अ.सा.7 / 24.01.2025	जांच रिपोर्ट
48	प्रदर्श पी.-48 / अ.सा.4 / 15.04.2025	अभियुक्तगणों के बीच हुई बात का रिकॉर्ड
49	प्रदर्श पी.-49 / अ.सा.4 / 15.04.2025	दिलीप सिंह पटेलिया के केस डायरी कथन
50	प्रदर्श पी.-50 / अ.सा.4 / 15.04.2025	सौरभ के केस डायरी कथन
51	प्रदर्श पी.-51 / अ.सा.4 / 15.04.2025	चंद्रशेखर शर्मा के केस डायरी कथन
52	प्रदर्श पी.-52 / अ.सा.4 / 15.04.2025	सूची

**Continued Page No (8)**

(8)

**RCT No. -1142/2023**  
**म0प्र0 राज्य विरुद्ध स्वपन पॉल व अन्य****बचाव पक्ष के प्रदर्श**

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

**अन्य जप्तशुदा वस्तुएं/आर्टिकल**

स.क्र.	आर्टिकल संख्या/वस्तुएं	विवरण
1	टर्टल, बैग	स्वपन पॉल से इंडियन टेंट टर्टल 168 नग, बैग 2 नग, नरोत्तम से इंडियन टेंट टर्टल 114 नग (112 जीवित, 2 नग मृत), बैग 2 नग
2	रेलवे टिकिट एवं निर्वाचन पत्र की प्रति	स्वपन पॉल से रेलवे टिकिट 2 नग पी.एन.आर 2102486251 लखनउ से पैरम्बूर एवं पी.एन.आर 4809499741 चेन्नई एगमोर से अयोध्या एवं स्वपनपॉल के निर्वाचन की छायाप्रति
3	मोबाईल	अभिषेक उर्फ राजा से रियलमी सी-2 आर.एम.एक्स 1941 मोबाईल
4	मोबाईल	स्वपन पॉल से इनफोकस कंपनी का मोबाईल vibe plus if9063
5	मोबाईल	नरोत्तम से सेमसंग कंपनी का मोबाईल J4+SM-J415F

**01.** अभियुक्त स्वपन पॉल व नरोत्तम के विरुद्ध वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2006) की धारा 48ए एवं 44, 49/51 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि अभियुक्तगण दिनांक 30.09.2023 को इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 5 पर उनके आधिपत्य में रखे बैगों से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I के भाग C के अनुक्रमांक 49 पर दर्ज एवं CITES (Convention on international Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora) की परिशिष्ट II के

**Continued Page No (9)**

अनुक्रमांक 275 पर दर्ज दुर्लभ प्रजाति के इंडियन टेंट टर्टल कछुएं आरोपी स्वपनपॉल 168 नग व नरोत्तम 112 नग जीवित व 02 नग मृत व्यापार करने के आशय से अपने आधिपत्य में रखे पाये गये एवं उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I के भाग C के अनुक्रमांक 49 पर दर्ज एवं CITES (Convention on international Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora) की परिशिष्ट II के अनुक्रमांक 275 पर दर्ज दुर्लभ प्रजाति के इंडियन टेंट टर्टल कछुएं का बैग में रखकर अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया। अभियुक्त सुग्रीव एवं अभिषेक उर्फ राजा के विरुद्ध वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2006) की धारा 44, 49/51 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उनने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विभिन्न प्रजाति के कछुओं का अंतर्राज्यीय स्तर पर विभिन्न स्थानों पर अवैध व्यापार/परिवहन बिना अनुज्ञप्ति के किया।

**02.** अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.09.2023 को क्षेत्रीय इकाई राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) भोपाल तथा जोनल इकाई राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) इंदौर एवं स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 05 पर लखनउ यशवंतपुर एक्सप्रेस (12540) के एस-1 कोच के सीट क्रमांक 31 पर बैठे व्यक्तियों से पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उन व्यक्तियों ने अपना नाम स्वपन पॉल एवं नरोत्तम सरकार बताया। उनके सामान की जानकारी लेने पर उन्होंने बैगों में कछुएं होना बताया। अधिकारियों के द्वारा कछुओं के परिवहन के संबंध में दस्तावेज चाहे गये परन्तु उनके पास कोई वैद्य दस्तावेज या लायसेंस नहीं पाये गये। अन्य यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये दोनों व्यक्तियों को मय सामान प्लेटफॉर्म क्रमांक 05 पर उतारा गया जहाँ उनके सामान की तलाशी ली गई तलाशी के दौरान स्वपन पॉल के दोनों बैग में 168 नग जीवित कछुये पाये गये, इसी प्रकार नरोत्तम सरकार के बैग की तलाशी लेने पर 114 नग कछुये मिले जिसमें 112 नग जीवित एवं 02 नग मृत थे उक्त कछुए दुर्लभ प्रजाति के

इण्डियन टेंट टर्टल (Pangshura Tentoria) थे, जिनकी मौका स्थल पर विधिवत् जप्ती की कार्यवाही की गई।

**03.** परिवाद में आगे लेख किया गया कि अग्रिम पूछताछ करने हेतु दोनो व्यक्तियों को कार्यालय स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल लाया गया जहाँ आरोपियों की जामा तलाशी करने पर स्वपन पॉल से 01 नग मोबाईल INFOCUS IMEI-352484114586548, 352484114891542 एयरटेल सिम नम्बर 8167365664 एवं नरोत्तम सरकार से 01 नग मोबाइल Samsung IMEI 353414107813251/01 353415107813258/01 जियो सिम नम्बर 9907458017 विधिवत् जप्त कर सीलबंद किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/11 दिनांक 30.09.2023 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में जप्त कछुये (इंडियन टेंट टर्टल) 280 नग (जीवित) एवं 02 नग (मृत) का परीक्षण करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 204 दिनांक 01.10.2023 के द्वारा डॉ. गुरुदत्त शर्मा, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम को लेख किया गया। डॉ. गुरुदत्त शर्मा, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के द्वारा कछुओं का परीक्षण कर रिपोर्ट क्रमांक/WHM/2022-23/64 नर्मदापुरम दिनांक 01.10.2023 प्रेषित की गई। रिपोर्ट के अनुसार कछुये (इंडियन टेंट टर्टल) 280 नग (जीवित) एवं 02 नग (मृत) पाये गये जो कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की अनुसूची क्रमांक। के भाग के अनुक्रमांक 49 पर अंकित है। परीक्षण में जीवित 280 नग कछुये पूर्णतः स्वस्थ पाये गये जो प्राकृतिक आवास में निर्मुक्त करने योग्य है। दिनांक 01.10.2023 को आरोपी स्वपन पॉल एव नरोत्तम सरकार को माननीय न्यायालय नर्मदापुरम के समक्ष प्रस्तुत कर प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु दिनांक 07.10.2023 तक फॉरेस्ट रिमाण्ड चाहा गया तथा प्रकरण में जप्त जीवित कछुओं 280 नग को प्राकृतिक आवास में निर्मुक्त करने की अनुमति चाही गई।

**04.** परिवाद में आगे लेख किया गया कि माननीय न्यायालय से अनुमति उपरांत जीवित 280 नग कछुओं को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम,

परिक्षेत्र कामती की बीट लगदा के कक्ष क्रमांक 258 में सुरक्षित निर्मुक्त किया गया। जिसका पंचनामा तैयार किया गया एवं फोटोग्राफ्स लिये गये जो संलग्न प्रस्तुत हैं। शेष 02 नग मृत कछुओं को नियमानुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष जलाकर नष्ट किया गया जिसका पंचनामा संलग्न है। आरोपी स्वपन पॉल वल्द भागीरथ पॉल उम्र 38 वर्ष निवासी रघुनाथपुर, मधुपल्ली पोस्ट कमलपुर दुर्गापुर जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल के द्वारा सहायक वनसंरक्षक श्री अंकित जामोद सहायक संचालक, सोहागपुर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के समक्ष वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की धारा 50(8) के तहत दिनांक 01.10.2023 को अपने बयान में बताया कि “वह कछुओं के बड़े व्यापारी मुस्ताक निवासी खेतासराई तहसील शाहगंज जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश एवं सुग्रीव निवासी अयोध्या उत्तर प्रदेश से विभिन्न प्रजाति के कछुओं को खरीदकर प्रकरण के अन्य आरोपी नरोत्तम वल्द नवोकुमार सरकार एवं अभिषेक उर्फ राजा विश्वास के साथ मिलकर अन्तर्राज्यीय स्तर पर सप्लाई करने का कार्य करता हूँ। प्रत्येक सप्लाई के लिये उसे प्रति ट्रिप 07-10 हजार रूपये मिल जाते हैं। दिनांक 28.09.2023 को वह और नरोत्तम सरकार प्रवीर दास के कहने पर जम्मूतवी एक्सप्रेस से चाकदहा से अयोध्या सुग्रीव गौंड के पास कछुए लेने के लिये रवाना हुये। प्रवीर ने उसे चाकदहा रेलवे स्टेशन पर सात हजार रूपये एवं लखनऊ से पैराम्पुर जाने तथा चेन्नई से अयोध्या आने तक का ट्रेन का रिजर्वेशन टिकिट तथा रास्ते में खर्च के लिये कुछ पैसे दिये थे। प्रवीर ने बाकी का पैसा माल (कछुए) को चेन्नई तक पहुँचाने के बाद देने को कहा।

**05.** परिवाद में आगे लेख है कि स्वपन पॉल ने अपने कथन में आगे बताया कि इसके बाद वह और नरोत्तम सरकार दिनांक 29.09.2023 को सुबह लगभग सात बजे अयोध्या पहुँचे। जहाँ वे सुग्रीव गौंड के घर गये। कुछ समय बाद राजा भी सुग्रीव के घर आया। उसने सुग्रीव को सात हजार रूपये नगद दिये तब सुग्रीव ने उन लोगों को चारबाग मेट्रो स्टेशन लखनऊ पर कछुए देने को कहा। वे तीनों (मैं, नरोत्तम एवं राजा विश्वास) अयोध्या से लखनऊ गये जहाँ चारबाग मेट्रो स्टेशन पर सुग्रीव गौंड कछुए से भरे दो थैले उसे, एक थैला राजा को एवं एक थैला नरोत्तम को दिया। इसके बाद वे यशवंतपुर लखनऊ

माल (कछुए) को पेराम्बुर (चैन्नई) ले जाने के लिये रवाना हुये। इटारसी जंक्शन पर उनसे माल (कछुए) के संबंध में पूछताछ की गई। उनके पास कछुओं को परिवहन करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। आरोपी के द्वारा कछुओं का अवैध व्यापार करना स्वीकार किया गया।

**06.** परिवाद में आगे लेख है कि इसी प्रकार प्रकरण के अन्य आरोपी नरोत्तम वल्द नवोकुमार सरकार उम्र 52 वर्ष निवासी कठालपुली तहसील चाकदहा जिला नादिया, पश्चिम बंगाल के द्वारा सहायक वनसंरक्षक श्री अंकित जामोद, सहायक संचालक, सोहागपुर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के समक्ष वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की धारा 50(8) के तहत दिनांक 01.10.2023 को उसके बयान में बताया कि "वह कछुओं के बड़े व्यापारी मुस्ताक निवासी खेतासराई तहसील शाहगंज जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश एवं सुग्रीव निवासी अयोध्या उत्तर प्रदेश से विभिन्न प्रजाति के कछुओं को खरीदकर प्रकरण के अन्य आरोपी स्वपन पॉल एवं अभिषेक उर्फ राजा विश्वास के साथ मिलकर अन्तर्राज्यीय स्तर पर सप्लाई करने का कार्य करता है, आरोपी के द्वारा कछुओं का अवैध व्यापार करना स्वीकार किया है।" आरोपी स्वपन पॉल एवं नरोत्तम सरकार के द्वारा दिये स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर एवं आरोपी स्वपन पॉल की निशानदेही पर प्रकरण के अन्य फरार आरोपी अभिषेक उर्फ राजा विश्वास को दिनांक 03.10.2023 को जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर दिनांक 04.10.2023 को माननीय न्यायालय नर्मदापुरम के समक्ष पेश कर अग्रिम विवेचना हेतु दिनांक 07.10.2023 तक फॉरेस्ट रिमाण्ड पर लिया गया।

**07.** परिवाद में आगे लेख है कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक 216 दिनांक 06.10.2023 से आरोपी अभिषेक उर्फ राजा विश्वास के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की धारा 50(8) के तहत बयान दर्ज करने हेतु लेख किया गया। दिनांक 07.10.2023 को श्री अंकित जामोद, सहायक संचालक, सोहागपुर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के समक्ष उसके बयान में बताया कि वह अभिषेक उर्फ राजा विश्वास विगत 01 वर्ष से वन्यप्राणी कछुओं की तस्करी का काम कर रहा है। कछुओं की सप्लाई करने पर उसे

प्रति ट्रिप 05-07 हजार रूपये मिल जाते हैं। वह मुस्ताक एवं सुग्रीव से कछुओं को लेकर पश्चिम बंगाल के कलकत्ता एवं चाकदहा शहर में प्रबीर दास नामक व्यक्ति को देता है। वह नरोत्तम सरकार एवं स्वपन पॉल को जानता है। स्वपन पॉल रिश्ते में उसका साडू लगता है। उसे कछुए के धंधे के बारे में स्वपन पॉल ने ही बताया था। दिनांक 29.09.2023 को स्वपन पॉल एवं नरोत्तम सरकार सुग्रीव गोंड के घर अयोध्या आये थे। वह भी सुग्रीव के घर गया वहाँ से वह स्वपन पॉल एवं नरोत्तम सरकार प्राइवेट टैक्सी से चारबाग मेट्रो स्टेशन लखनऊ गये जहां उन्हें सुग्रीव ने कछुओं से भरे थैले दिये। सुग्रीव ने दो थैले स्वपन को एक थैला नरोत्तम को एवं एक थैला उसे दिया था। उसके बाद वे तीनों कछुओं से भरे थैले लेकर लखनऊ यशवंतपुर एक्सप्रेस से पेराम्बुर (चैन्नई) के लिये रवाना हुये। दिनांक 30.09.2023 को इटारसी रेलवे स्टेशन पर कुछ अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा उनकी सीट पर आकर उनसे नाम एवं पता पूछा गया इसी दौरान वह वहां से डर के कारण उठकर चला गया एवं नागपुर से बस पकड़कर अयोध्या वापस चला गया। दिनांक 03.10.2023 को उसे अयोध्या से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के द्वारा कछुओं का अवैध रूप से व्यापार करने का अपराध स्वीकार किया गया।

**08.** टाइगर स्ट्राइक फोर्स नर्मदापुरम के पत्र क्रमांक 202 दिनांक 01.10.2023 के द्वारा प्रकरण में आरोपियों से जप्त मोबाइलों नम्बरों की सी.डी.आर. प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी को निवेदन प्रेषित किया गया जो शासकीय ई-मेल आई डी. पर दिनांक 05.10.2023 को प्राप्त हुआ। कार्यालय के पत्र क्रमांक 215 दिनांक 06.10.2023 एवं पत्र क्रमांक 230 दिनांक 20.10.2023 से प्रकरण में अन्य फरार आरोपियों के मोबाइलों नम्बरों की सी.डी.आर. प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी को निवेदन प्रेषित किया गया जो शासकीय ई-मेल आई. डी. acfisi hbd@mp.gov.in पर क्रमशः दिनांक 09.10.2023 एवं 26.10.2023 को प्राप्त हुआ। जिसके विश्लेषण पर निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार बातचीत होना पाया गया—

A Party	B Party	समय अवधि	कितनी बार आपस
---------	---------	----------	---------------

(14)

**RCT No. -1142/2023**  
म0प्र0 राज्य विरुद्ध स्वपन पॉल व अन्य

			में बात हुई
अभिषेक उर्फ राजा विश्वास 9305261257	नरोत्तम सरकार 9907458017	दिनांक 30.09.2022 से 30.09.2023	08
	प्रबीर दास 9153201182		05
	सुग्रीव गौंड 7380890940		21
	स्वपन पॉल 8167365664		367
नरोत्तम वल्द नवोकुमार सरकार 9907458017	प्रबीर दास 9153201182	दिनांक 30.09.2022 से 30.09.2023	50
	स्वपन पॉल 8167365664		392
	अभिषेक उर्फ राजा विश्वास 9305261257		08
8167365664 स्वपन वल्द भागीरथ पॉल	नरोत्तम सरकार 9907458017	दिनांक 30.09.2022 से 30.09.2023	376
	सुग्रीव गौंड 7380890940		173
	अभिषेक उर्फ राजा विश्वास 9305261257		367
	प्रबीर दास 9153201182		572

**Continued Page No (15)**

**09.** प्रकरण में विवेचना के दौरान अन्य आरोपियों 1. सुग्रीव गौंड निवासी हाल मुकाम अयोध्या, उत्तर स्थायी पता पोस्ट गांधीनगर मोहल्ला मेहरीखयां आमहट जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश और 2. प्रबीर दास निवासी निवासी सुभाष नगर जिला नादिया, पश्चिम बंगाल पिन कोड 741222 की संलिप्तता पाई गई है। अन्य आरोपी जो तमिलनाडू का निवासी है जो इण्डियन टेंट टर्टल को खरीदने का कार्य करता है, के संबंध में जानकारी आरोपी सुग्रीव गौंड एवं प्रवीर दास की गिरफ्तारी के पश्चात प्राप्त हो सकेगी।

**10.** प्रकरण में आरोपी सुग्रीव गौंड के विरुद्ध पूरक परिवाद दिनांक 02.02.2024 पेश किया गया। तीनों आरोपीगण स्वपन पॉल, नरोत्तम व अभिषेक उर्फ राजा विश्वास ने प्रकरण में जप्त कछुएं सुग्रीव गौंड से लाना स्वीकार किया जिसके आधार पर प्रकरण में फरार आरोपी सुग्रीव को दिनांक 09.12.2023 को गिरफ्तार कर दिनांक 10.12.2023 को माननीय न्यायालय नर्मदापुरम के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम विवेचना हेतु दिनांक 14.12.2023 तक रिमाण्ड पर लिया गया। आरोपी सुग्रीव वल्द रमाशंकर गौंड के द्वारा सहायक वनसंरक्षक श्री विनोद सिंह, टाइगर स्ट्राइक फोर्स नर्मदापुरम (भोपाल) के समक्ष वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की धारा 50(8) के तहत दिनांक 10.12.2023 को उसके बयान में बताया कि वह सुग्रीव गौंड पिता रमाशंकर गौंड उम्र लगभग 43 वर्ष (मोबाईल नंबर 7380890940, 7607134278) ग्राम पोस्ट गांधीनगर मेहरीखवां अमहुत, जिला बस्ती उत्तर प्रदेश पिन 272001 का मूल निवासी है एवं उसके आधार कार्ड (आधार नम्बर 966398057522) में भी यही पता लिखा हुआ है। वर्तमान में वह तिहुरा माझा पेपर मील के पास तहसील व जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश में किराये के मकान में रहता हूँ। वह गेंदे के फूल की माला बनाने, फूलों को बेंचने एवं गेंदे के पौधों की सप्लाई करने के साथ विगत 07-08 वर्षों से कछुएं एवं मछली को पकड़ने एवं बेचने का काम भी करता है। वह सरयू टेढी नदी से मछली, कछुए पकड़ता है, वह मुस्ताक (मोन. 8960931530, 8009604606, 9565136482) निवासी खेतासराय बाजार तहसील शाहगंज जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश को जानता है। मुस्ताक कछुओं का

बहुत बड़ा व्यापारी है जो स्थानीय लोगों से कछुओं को खरीदकर उनको अवैध रूप से संग्रहण एवं व्यापार करने का काम करता है।

11. परिवाद में आगे लेख है कि सुग्रीव गौड ने आगे बताया कि वह स्वपन पॉल (मो.न. 8167365664) को विगत 04-05 वर्ष से जानता है। स्वपन पॉल उसे कोलकत्ता के बाजार में मिला था जहाँ वह कछुओं को लेकर जाया करता था। वह उसके मोबाइल नम्बर 7380890940 से स्वपन पॉल के मोबाइल नम्बर 8167365664 से लगातार कछुओं की खरीद फरोख्त के संबंध में बातचीत करता है। वह नरोत्तम वल्द नवोकुमार को जानता है, नरोत्तम से उसे स्वपन पॉल ने ही मिलवाया था। नरोत्तम भी उसके पास कछुए लेने आता रहता था। जिसे वह चाकदाह जिला नदिया पश्चिम बंगाल कोलकत्ता पश्चिम बंगाल हावड़ा, चेन्नई, तमिलनाडू एवं आवश्यकतानुसार भारत के अन्य जिलों में भी सप्लाई करता है। वह अभिषेक उर्फ राजा विश्वास निवासी अयोध्या उत्तर प्रदेश को पिछले 06 माह से जानता है। अभिषेक उर्फ राजा के पिताजी बंगाली डॉक्टर हैं वह अपनी बेटी के लिए दवाई लेने आया करता था वही उससे उसकी मुलाकात हुई थी। स्वपन एवं नरोत्तम दिनांक 29.09.2023 को सुबह लगभग 7 बजे अयोध्या उसके घर आये राजा भी कुछ देर बाद उसके घर आया। उसने स्वपन, नरोत्तम एवं अभिषेक सर्फ राजा को लखनऊ पहुंचने को कहा। इसके बाद वह भी 282 नग कछुओं को लेकर लखनऊ गया। वह शाम को लगभग 07:30 बजे चारबाग मेट्रो स्टेशन लखनऊ पर कपड़े के 04 थैलों में माल (282 नग कछुओं) लेकर पहुँचा। उसने 02 नग थैले स्वपन पॉल, 01 थैला नरोत्तम को एवं 1 थैला राजा को दिया। इसके बाद वह वहाँ से चला गया। बाद में उसे पता चला कि वह दिनांक 30.09.2023 को इटारसी रेलवे स्टेशन पर कछुए के साथ पकड़े गये। आरोपी सुग्रीव वल्द रमाशंकर गौड के द्वारा प्रकरण के तीनों आरोपियों के साथ मिलकर वन्यप्राणी कछुओं का अवैध व्यापार करना स्वीकार किया गया है।

12. परिवाद में आगे लेख है कि आरोपी स्वपन पॉल से जप्त ट्रेन की टिकिट के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूर्व रेलवे हावड़ा मंडल पश्चिम बंगाल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1297 दिनांक 31.

10.2023 से पत्र लेख किया गया। जानकारी प्राप्त होने पर प्रथक से प्रस्तुत की जावेगी। परिवादी श्री राजू सिंह राजपूत वनक्षेत्रपॉल प्रभारी अधिकारी टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश कमांक एफ 15-24/06/10-2 दिनांक 03.08.2006 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्य प्रदेश के आदेश कमांक/ 189 दिनांक 22.08.2006 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत है। वन्यप्राणी कछुआ (Indian tent turtl) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की अनुसूची। के भाग C के अनुक्रमांक 49 पर दर्ज है एवं CITES (Convention on international Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora.) की परिशिष्ट II के अनुक्रमांक 275 पर दर्ज है। जिनका शिकार एवं व्यापार उक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत प्रतिबंधित है। आरोपियों के द्वारा प्रकरण में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की अनुसूची में दर्ज वन्यप्राणी कछुये (Indian tent turtle) का अवैध व्यापार करने का जघन्य अपराध किया है। जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की उपरोक्त वर्णित धाराओं में गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

**13.** परिवाद में आगे लेख किया गया है कि प्रकरण में विवेचना के दौरान अन्य आरोपी प्रवीर दास निवासी सुभाष नगर जिला नादिया पश्चिम बंगाल पिन कोड 741222 की संलिप्तता पायी गयी है। आरोपी पश्चिम बंगाल का निवासी है एवं इंडियन टेंट टर्टल को खरीदने का कार्य करता है। आरोपी प्रवीर दास की गिरफ्तारी शेष है। आरोपी की गिरफ्तारी उपरांत पूरक परिवाद पृथक से प्रस्तुत किये जाने के निवेदन सहित यह परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

**14.** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण में आरोपी प्रवीर दास पूर्व से फरार है, जिसके संबंध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जाना शेष है।

15. अभियुक्तगण के विरुद्ध निर्णय के चरण-1 के अनुसार आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर, अभियुक्तगण ने जुर्म अस्वीकार कर, विचारण चाहा, तदनुसार उनका अभिवाक् अंकित किया गया। अभियुक्तगण का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-313 के अधीन परीक्षण किये जाने पर बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करना व्यक्त करते हुये मौखिक बचाव साक्ष्य में बताया कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है एवं आरोपी स्वपन पॉल व नरोत्तम ने अभियुक्त परीक्षण के दौरान बताया कि उस दिन वे ट्रेन के एस-1 कोच में सीट नंबर 61, 62 व 63 पर यात्रा कर रहे थे, वे ईलाज के लिये चेन्नई जा रहे थे, झूठा केस बना दिया है।

16. अभियोजन की ओर से पक्ष समर्थन में अनिल कुमार यादव (अ.सा. 1), प्रदीप पाण्डेय (अ.सा.2), दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा.3), राजू सिंह राजपूत (अ. सा.4), दिलीप सिंह पटेलिया (अ.सा.5), अंकित जामोद (अ.सा.6), डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा (अ.सा.7), प्रतीक गर्ग (अ.सा.8), मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.9), आकाशगीत त्रिपाठी (अ.सा.10), विनोद सिंह (अ.सा.11) को परीक्षित कराया है। अभियोजन की ओर से ए.डी.पी.ओ. श्री अरूण पठारिया द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की है।

17. **प्रकरण में निर्णय हेतु निम्न अवधारणीय प्रश्न है :-**

I. क्या अभियुक्त स्वपन पॉल व नरोत्तम दिनांक 30.09.2023 को इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 5 पर उनके आधिपत्य में रखे बैगों से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I के भाग C के अनुक्रमांक 49 पर दर्ज एवं CITES (Convention on international Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora) की परिशिष्ट II के अनुक्रमांक 275 पर दर्ज दुर्लभ प्रजाति के इंडियन टेंट टर्टल कछुएं आरोपी स्वपन पॉल 168 नग व नरोत्तम 112 नग जीवित व 02 नग मृत व्यापार करने के आशय से अपने आधिपत्य में रखे पाये गये?

II. क्या अभियुक्त स्वपन पॉल व नरोत्तम उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की

अनुसूची I के भाग C के अनुक्रमांक 49 पर दर्ज एवं CITES (Convention on international Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora) की परिशिष्ट II के अनुक्रमांक 275 पर दर्ज दुर्लभ प्रजाति के इंडियन टेंट टर्टल कछुएं का बैग में रखकर अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया।

**III.** क्या अभियुक्त सुग्रीव एवं अभिषेक उर्फ राजा ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विभिन्न प्रजाति के कछुओं का अंतर्राज्यीय स्तर पर विभिन्न स्थानों पर अवैध व्यापार/परिवहन बिना अनुज्ञप्ति के किया?

**:- विनिश्चय व विनिश्चय के आधार :-**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक :- (I), (II), (III) के संबंध में :-**

**18.** उपर्युक्त विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

**19.** उपरोक्त प्रस्तुत अभियोजन मामला अनुसार विरचित आरोप के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियोजन द्वारा वर्तमान मामला आरोपीगण के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I के भाग C के अनुक्रमांक 49 पर दर्ज एवं CITES (Convention on international Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora) की परिशिष्ट II के अनुक्रमांक 275 पर दर्ज दुर्लभ प्रजाति के इंडियन टेंट टर्टल कछुएं को आरोपीगण स्वपनपाल व नरोत्तम द्वारा घटना दिनांक को उनके पास रखकर परिवहन करने के संबंध में एवं अभियुक्त सुग्रीव गौंड व अभिषेक उर्फ राजा द्वारा किसी विशिष्ट, दिनांक एवं विशिष्ट स्थान पर हुए किसी एक घटना के संबंध में प्रस्तुत किया जाकर एवं आरोपीगण सुग्रीव गौंड व अभिषेक उर्फ राजा द्वारा आरोपीगण स्वपन पॉल व नरोत्तम के साथ मिलकर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I के भाग C के अनुक्रमांक 49 पर दर्ज एवं CITES (Convention on international Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora) की परिशिष्ट II के अनुक्रमांक 275

पर दर्ज दुर्लभ प्रजाति के इंडियन टेंट टर्टल कछुएं, के संबंध में एक कालावधि तक लगातार किए जाने वाले कथित अवैध व्यापार बिना वैध अनुज्ञप्ति के किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया है और इस कारण तत्संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना को उक्त संदर्भ में किया जाना उचित होगा।

**20.** उक्त संबंध में यह आवश्यक है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधित उन विशिष्ट प्रावधानों का अवलोकन किया जावे, जो वर्तमान प्रकरण में सुसंगत है और उन्हें अपराध की विशेष प्रकृति के आधार पर विधायिका ने अधिनियम के समर्थनकारी उपबंधों के रूप में विशिष्ट रूप से उल्लेखित किया है। उल्लेखित किसी भी अपराध के न्यायपूर्ण विचारण के लिए यह आवश्यक है कि उक्त प्रकरण अनुसंधान कार्यवाही तथा अभियोग पत्र प्रस्तुति सक्षम प्राधिकारिता के द्वारा संपादित की जावे। परिवाद प्रस्तुति की अधिकारिता के संबंध में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 55 विशिष्टतः यह प्रावधानित करती है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित में से भिन्न किसी व्यक्ति के परिवाद पर नहीं करेगा।

**21.** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा-55 यह प्रावधानित करती है कि – “धारा 55 (ग) के अंतर्गत वनक्षेत्रपाल प्रभारी अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है। मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क. एफ 15-29-2001-X-2, दिनांक 22.01.2002 के द्वारा धारा 55 (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी रेंज आफिसर को सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता दी गई है एवं परिवादी श्री राजू सिंह राजपूत वनक्षेत्रपाल प्रभारी अधिकारी टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश कमांक एफ 15-24/06/10-2 दिनांक 03.08.2006 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्य प्रदेश के आदेश कमांक/ 189 दिनांक 22.08.2006 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत है।

**22.** अतः इस परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के विवेचक राजू सिंह राजपूत (अ.सा.4) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 30.09.2023 को स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स नर्मदापुरम में प्रभारी अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्य प्राणी भोपाल) के पत्र क्रमांक एसटीएसएफ/काईमसेल/2023/1175/भोपाल दिनांक 30.09.2023, का पत्र उसे प्राप्त हुआ था जिसमें उसे वन अपराध क्रमांक 237/11 दिनांक 30.09.2023 के संबंध में अग्रिम विवेचना करने का आदेश प्राप्त हुये थे। पत्र प्रदर्श पी-28 है जिसके ए से ए भाग पर अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्य प्राणी) श्री शुभरंजन सेन के हस्ताक्षर हैं। उनके अधीनस्थ वह विगत दो वर्षों से कार्य कर रहा है इसलिए उनके हस्ताक्षर को पहचानता है। आरोपी स्वपन पॉल एवं नरोत्तम सरकार से 282 नग कछुएं जिसमें 280 जीवित व 2 मृतक कछुएं सहित पकड़ने की कार्यवाही डीआरआई की टीम के द्वारा एवं उनके कार्यालय से मुकेश कुमार पटेल वनपाल एवं अनिल कुमार यादव वनरक्षक के द्वारा इटारसी रेलवे स्टेशन पर की गई थी और टीम के लोग प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही/लिखा-पढ़ी कर भोपाल के ऑफिस में लाए थे, जिसकी विवेचना उसे प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने दिनांक 01.10.2023 को सहायक वनसंरक्षक श्री अंकित जामौद सतपुड़ा टाईगर रिजर्व नर्मदापुरम को प्रकरण में आरोपी स्वपन पॉल और नरोत्तम सरकार के वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50(8) के अंतर्गत कथन दर्ज कराने हेतु लेख किया था जिसका पत्र प्रदर्श पी-29 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

**23.** राजू सिंह राजपूत (अ.सा.4) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि विवेचना के दौरान उसने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी एसटीएसएफ भोपाल को आरोपी स्वपन पाल, नरोत्तम सरकार एवं राजा विश्वास के मोबाईल नंबर देकर उनकी सीडीआर उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रदर्श पी-30 लिखा था जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने दिनांक 01.10.2023 को डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी सतपुड़ा टाईगर रिजर्व नर्मदापुरम को वन अपराध क्रमांक 237/11 में जप्तशुदा 280 नग जीवित कछुए

व दो नग मृत कछुए का परीक्षण कर परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करने हेतु लिखा था जिसका प्रदर्श पी-31 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान जप्तशुदा जीवित 280 नग कछुओं को माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त उन्हें जीवित अवस्था में उनके प्राकृतिक आवास सतपुड़ा टाईगर रिजर्व पार्क कामती बीट लगदा के कक्ष क्रमांक 258 में उन्हें पानी में छोड़ा गया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी 15 उसके समक्ष अनिल कुमार यादव वनरक्षक ने बनाया था जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

**24.** राजू सिंह राजपूत (अ.सा.4) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि कछुओं को पानी में छोड़ते समय के छायाचित्र भी लिये गये थे जो आर्टिकल ए-4 है। दिनांक 02.10.2023 को माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर दो नग मृत कछुओं को जलाकर नष्ट किया गया था। जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-25 चन्द्रशेखर शर्मा वनपाल के द्वारा उसके समक्ष बनाया गया था, जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में विवेचना के दौरान दिनांक 03.10.2023 को फरार आरोपी अभिषेक उर्फ राजा विश्वास के घर साकेत धर्मकांटा जिला अयोध्या गये थे जिसे उन लोगों ने पकड़ा और उसे मयारेंज दर्शन नगर अयोध्या में लेकर आए थे, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-14 है जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष अनिल कुमार यादव वनरक्षक ने आरोपी अभिषेक उर्फ राजा की जामा तलाशी ली थी जामा तलाशी में उसके पास से एक नग मोबाईल रियलमी सी-2 आरएमएक्स 1941 मिला था जो गहरे नीले रंग का था। जामा तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-9 पर बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। अनिल यादव द्वारा आरोपी अभिषेक उर्फ राजा से जामा तलाशी में मिले मोबाईल को उसके समक्ष जप्त किया था। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-10 में सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

**25.** राजू सिंह राजपूत (अ.सा.4) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि विवेचना के दौरान आरोपी अभिषेक उर्फ राजा विश्वास से पूछताछ कर उसका पूछताछ कथन लिया था। कथन में उसने बताया था कि

वह नरोत्तम सरकार और स्वपन पॉल के साथ 30 तारीख को लखनऊ यशवंतपुर एक्सप्रेस में इटारसी जक्शन पर साथ में था जब स्वपन पॉल और नरोत्तम सरकार से कुछ लोगों ने आकर पूछताछ करना शुरू किया तो वह वहां से फरार हो गया था। पूछताछ पंचनामा प्रदर्श पी-11 पर बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष अनिल कुमार यादव वनरक्षक ने आरोपी अभिषेक उर्फ राजा को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-12 में बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं और आरोपी को अयोध्या से भोपाल लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था और उसका पी. आर. पर लिया था, उसके बाद उसके द्वारा दिनांक 06.10.2023 को अंकित जामौद सहायक वनसंरक्षक सतपुड़ा टाईगर रिजर्व नर्मदापुरम को धारा 50(8) के अंतर्गत आरोपी अभिषेक उर्फ राजा के कथन लेखबद्ध करने के संबंध में लेख किया था। पत्र प्रदर्श पी-32 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

**26.** राजू सिंह राजपूत (अ.सा.4) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि विवेचना के दौरान अभिषेक उर्फ राजा ने प्रवीर दास का नाम बताया था और उसका मोबाईल नंबर भी बताया था जिसकी कॉल डिटेल् निकालने के लिए उसने अपने विभाग के एपीसीसीएफ भोपाल को पत्र लिखा था, पत्र प्रदर्श पी-33 में ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। अभिषेक ने मुस्ताक का नाम भी बताया था और सुग्रीव का नाम भी बताया था और उनके मोबाईल नंबर भी बताए थे तब उसने उनकी सीडीआर निकालवाने के संबंध में एपीसीसीएफ वन्य प्राणी को पत्र लिखा गया पत्र प्रदर्श पी-34 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान स्टेट फारेस्ट साईबर सेल राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल से पेज क्रमांक 53 से लेकर पेज क्रमांक 113 तक के चाहे गये नंबरों की सीडीआर प्राप्त हुई थी सीडीआर के साथ 65 बी का प्रमाण पत्र भी संलग्न प्राप्त हुआ था। 65 बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-35 है। सीडीआर पेज क्रमांक 53 से पेज क्रमांक 113 है।

27. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.4) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि उसके द्वारा सीडीआर का अवलोकन किया गया सीडीआर के अवलोकन से उसने पाया कि आरोपी अभिषेक उर्फ राजा विश्वास जिसका मोबाईल नंबर 9305261257 से नरोत्तम सरकार के मोबाईल नंबर 9907458017 से दिनांक 30.09.2022 से दिनांक 30.09.2023 तक 8 बार बातचीत हुई थी। आरोपी अभिषेक उर्फ राजा विश्वास जिसका मोबाईल नंबर 9305261257 से आरोपी प्रवीर दास मोबाईल नंबर 9153201182 से दिनांक 30.09.2022 से दिनांक 30.09.2023 तक 5 बार बातचीत हुई थी। आरोपी अभिषेक उर्फ राजा विश्वास जिसका मोबाईल नंबर 9305261257 से आरोपी सुग्रीव गौंड मोबाईल नंबर 7380890940 से दिनांक 30.09.2022 से दिनांक 30.09.2023 तक 21 बार बातचीत हुई थी। आरोपी अभिषेक उर्फ राजा विश्वास जिसका मोबाईल नंबर 9305261257 से आरोपी स्वपन पॉल मोबाईल नंबर 8167365664 से दिनांक 30.09.2022 से दिनांक 30.09.2023 तक 367 बार बातचीत हुई थी। आरोपी नरोत्तम वल्द नवोकुमार सरकार मोबाईल नंबर 9907458017 से आरोपी प्रवीरदास मोबाईल नंबर 9153201182 से दिनांक 30.09.2022 से दिनांक 30.09.2023 तक 50 बार बातचीत हुई थी। आरोपी नरोत्तम वल्द नवोकुमार सरकार मोबाईल नंबर 9907458017 से आरोपी स्वपन पॉल मोबाईल नंबर 8167365664 से दिनांक 30.09.2022 से दिनांक 30.09.2023 तक 392 बार बातचीत हुई थी।

28. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.4) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि आरोपी नरोत्तम वल्द नवोकुमार सरकार मोबाईल नंबर 9907458017 से आरोपी अभिषेक उर्फ राजा विश्वास नंबर 9305261257 से दिनांक 30.09.2022 से दिनांक 30.09.2023 तक 8 बार बातचीत हुई थी। आरोपी स्वपन पॉल मोबाईल नंबर 8167365664 से आरोपी नरोत्तम सरकार मोबाईल नंबर 9907458017 से दिनांक 30.09.2022 से दिनांक 30.09.2023 तक 376 बार बातचीत हुई थी। आरोपी स्वपन पॉल मोबाईल नंबर 8167365664 से आरोपी सुग्रीव गौंड मोबाईल नंबर 7380890940 से दिनांक 30.09.2022 से दिनांक 30.09.2023 तक 173 बार बातचीत हुई थी। आरोपी स्वपन पॉल मोबाईल नंबर 8167365664 से आरोपी अभिषेक उर्फ राजा विश्वास मोबाईल

नंबर 9305261257 से दिनांक 30.09.2022 से दिनांक 30.09.2023 तक 367 बार बातचीत हुई थी। आरोपी स्वपन पॉल मोबाईल नंबर 8167365664 से आरोपी प्रवीर दास मोबाईल नंबर 9153201182 से दिनांक 30.09.2022 से दिनांक 30.09.2023 तक 572 बार बातचीत होना पाया गया था। उसके द्वारा किया गया अवलोकन चार्ट प्रदर्श पी-36 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। सीडीआर साईबर सेल से उसे उसके कम्प्यूटर पर ई-मेल से प्राप्त हुई थी जिसका प्रिन्ट उसके द्वारा निकाला गया था। प्रिन्ट निकालने के संबंध में दिया गया 65 बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-37 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। मेल के साथ उसे स्वपन पॉल, नरोत्तम सरकार एवं अभिषेक की कैप भी प्राप्त हुई थी।

**29.** राजू सिंह राजपूत (अ.सा.4) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि उसके द्वारा स्वतंत्र साक्षी प्रदीप पाण्डेय और सौम्य मालवीय के कथन लेखबद्ध करने हेतु उसने समंस जारी किये थे जो प्रदर्श पी-38 एवं 39 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 26.11.2023 को उसने साक्षी प्रदीप पाण्डेय के कथन उनके बताए अनुसार लिये थे जो प्रदर्श पी-40 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही सौम्य मालवीय के कथन भी उसके द्वारा लिये गये थे जो प्रदर्श पी-41 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं और बी से बी भाग पर कम्प्यूटर ऑपरेटर शैलेन्द्र गर्ग के हस्ताक्षर हैं। दौराने न्यायालयीन साक्ष्य प्रकरण से जप्तशुदा मुद्देमाल मालपर्चा अनुसार मालखाना से बुलाया जाकर उभयपक्ष के मध्य खोला गया। जप्तशुदा मुद्देमाल जिसमें मोबाईल है जिसे उभयपक्ष के मध्य खोला किया गया उक्त मोबाईल आरोपी अभिषेक उर्फ राजा से उसके समक्ष जप्त हुआ था। उक्त मोबाईल पर आर्टिकल ए-5 चिन्हित किया गया।

**30.** राजू सिंह राजपूत (अ.सा.4) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि उसने दिनांक 01.10.2023 को स्वपन पॉल, नरोत्तम सरकार और राजा विश्वास के फोन की सीडीआर प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा था। पत्र के पालन में उसे शासकीय ई-मेल पर सीडीआर तीनों की प्राप्त हुई थी। सीडीआर

का विश्लेषण उसके द्वारा किया गया था, जिसका सारांश विश्लेषण पत्र प्रदर्श पी-48 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोरेस्ट सायबर सेल राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स मध्यप्रदेश से सीडीआर के संबंध में उसे 65बी का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त प्रमाण पत्र को उसके द्वारा शासकीय कम्प्यूटर से ई-मेल से निकाला था। विवेचना के दौरान दिलीप सिंह पटेलिया, सौरभ और चन्द्रशेखर के कथन उनके बताए अनुसार लिये थे जो प्रदर्श पी-49 लगायत 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में दर्ज वन्य प्राणियों की अनुसूची संलग्न की गई जिसमें इंडियन टेन्ट टर्टल 49 नंबर पर दर्ज है, उक्त सूची प्रदर्श पी-52 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

**31.** राजू सिंह राजपूत (अ.सा.4) ने प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि प्रकरण की विवेचना उसे दिनांक 30.09.2023 को प्राप्त हुई थी व दिनांक 30.09.2023 के पूर्व की जो भी विवेचना थी वह डीआरआई के कर्मचारी व अन्य कर्मचारियों द्वारा की गई है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि वह घटना दिनांक को डीआरआई व अन्य वन विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन इटारसी नहीं गया था इसलिए उसे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि वहां पर क्या कार्यवाही हुई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी नरोत्तम सरकार एवं स्वपन पॉल के धारा 50 (8) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत बयान अंकित नहीं किये थे, उसने तो बयान अंकित करने के लिए पत्र सहायक संचालक को लिखा था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-30 के पत्र के माध्यम से उसके द्वारा नोडल अधिकारी एसटीएफ से संबंधित आरोपियों के सीडीआर नंबरों की जानकारी ई-मेल आईडी पर ही मांगी थी, कंपनी के नोडल अधिकारी से सीडीआर की हार्ड कॉपी नहीं मांगी थी।

**32.** राजू सिंह राजपूत (अ.सा.4) ने प्रतिपरीक्षण के दौरान इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उनके नोडल अधिकारी द्वारा उसे जो ई-मेल आईडी पर आरोपियों के मोबाईल नंबरों की सीडीआर भेजी थी उसे उसने

फिल्टर करके उनका प्रिन्ट आउट निकाला था, फिर कथन किया कि आरोपियों की सीडीआर ई-मेल आईडी पर पूर्ण रूप से प्राप्त हुई थी जिसे उसके द्वारा प्रकरण में संलग्न सीडी में साफ्टकॉपी में दिया गया है, चूंकि सीडीआर एक विस्तृत अभिलेख होता है जिसमें आरोपी के द्वारा अन्य सभी व्यक्तियों से बातचीत किया जाना दर्शित होता है, उसके द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपियों की बातचीत का सारांश प्रिन्ट करके हार्ड कॉपी में परिवाद के साथ संलग्न किया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने सीडीआर की प्रिन्ट कॉपी पेश की है उसकी पूर्ण कॉपी पेश नहीं की है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-35 के दस्तावेज में उसके द्वारा आरोपीगण के सीडीआर को फिल्टर करके सीडीआर प्रस्तुत करने की बात नहीं लिखी है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-37 का 65 बी का प्रमाण पत्र उसके द्वारा जारी नहीं किया गया है और न ही उस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**33.** राजू सिंह राजपूत (अ.सा.4) ने प्रतिपरीक्षण के दौरान इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि अयोध्या जाने के लिए जो टीम का गठन हुआ था उसका आदेश इस प्रकरण में संलग्न नहीं है व अयोध्या जाकर वहां के वन विभाग के ऑफिस में उसने लिखित में कोई सूचना नहीं दी थी, फिर कथन किया कि व्यक्तिगत रूप से जाकर मिला था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि स्वपन पॉल के द्वारा अभिषेक का नाम बताया गया था इसके अलावा अभिषेक के विरुद्ध उनके पास अन्य कोई साक्ष्य नहीं थी एवं उसके समक्ष जब अभिषेक की तलाशी हुई थी तो उसके पास कोई भी आपत्तिजनक/अवैध सामग्री नहीं पायी गई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-11 की पूछताछ अयोध्या में की गई थी एवं प्रदर्श पी-11 पर अयोध्या के वन विभाग के किसी भी कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-10 में किसी भी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है, फिर स्वतः कथन किया कि मयारेंज अयोध्या के उपक्षेत्रीय वनअधिकारी रविशंकर प्रसाद के हस्ताक्षर हैं।

**34.** राजू सिंह राजपूत (अ.सा.4) ने प्रतिपरीक्षण में आगे बताया कि आरोपी स्वपन पाल और अभिषेक आपस में साढू भाई का रिश्ता है और नरोत्तम सरकार से इनसे आपस में कोई रिश्ता नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण के बीच में दिनांक 30.09.2022 से 30.09.2023 के बीच में क्या क्या बातचीत हुई है इसका कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, स्वतः कहा कि सीडीआर के आधार पर बातचीत करने का समय, दिनांक ज्ञात किया जा सकता है, आपस में क्या बात हुई इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि कोई भी इलेक्ट्रानिक दस्तावेज पेश करने के लिए 65बी का प्रमाण पत्र आवश्यक है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि न्यायालय के निर्देश पर जो कछुए निर्वासित किये गये थे उनके फोटो पेश किया गये है किन्तु धारा 65बी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, स्वतः कहा कि कछुओं को निर्वासित करने का पंचनामा तैयार किया गया था जो प्रकरण में संलग्न किया गया है।

**35.** अनिल कुमार यादव (अ.सा.1) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 30.09.2023 को एसटीएसएफ मध्यप्रदेश भोपाल में वन रक्षक के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत् होते हुये उक्त दिनांक को एसटीएसएफ कार्यालय के पत्र क्रमांक एसटीएसएफ/2023/1173, दिनांक 30.09.2023 के द्वारा उसे प्रभारी अधिकारी एसटीएसएफ द्वारा वन्य प्राणी अपराध के संबंध में कार्यवाही हेतु डीआरआई भोपाल के साथ उपस्थित रहकर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया था। पत्र प्रदर्श पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उक्त पत्र के पालन में वह डीआरआई टीम के साथ इटारसी रेल्वे स्टेशन गया था। जहां पर मुखबिर की सूचना के अनुसार ट्रेन संख्या 12540 लखनउ यशवंतपुर एक्सप्रेस का इन्तजार किया था, उक्त ट्रेन इटारसी स्टेशन पहुंचने पर ट्रेन के डिब्बा क्रमांक एस-1 सीट क्रमांक 31 पर टीम के साथ पहुंचा था उक्त सीट पर दो व्यक्ति बैठे हुये थे दोनों व्यक्तियों से उनके नाम पूछे गये थे, जिन्होंने अपना नाम स्वपन पॉल व नरोत्तम बताया था। उक्त दोनों व्यक्तियों को डीआरआई की टीम ने अपना परिचय दिया था तथा उनकी जामा तलाशी का अनुरोध किया था तो दोनों जामा तलाशी से इंकार किया था।

डीआरआई टीम के अधिकारियों ने उनके पास रखे 4 बैग (थैलों) के बारे में पूछा था तो उन्होंने अपना होना बताया था। दो थैले स्वपन पाल के थे और 2 थैले नरोत्तम सरकार के थे।

**36.** अनिल कुमार यादव (अ.सा.1) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि इसके उपरान्त दोनों व्यक्तियों को लेकर टीम प्लेटफॉर्म पर उतर गई थी क्योंकि ट्रेन के अंदर सवारियों को असुविधा न हो इसलिए प्लेटफॉर्म पर उतर गये थे। दोनों व्यक्तियों ने अपने बैगों में कछुआ होना बताया था। डीआरआई टीम के अधिकारी ने एवं त्रिपाठी साहब ने दोनों व्यक्तियों से उक्त कछुओं के संबंध में दस्तावेज के संबंध में मांग की गई थी तो उक्त संबंध में कोई दस्तावेज नहीं मिले थे। स्वपन पॉल के दो थैलों में 168 जिन्दा कछुएं (इंडियन टेंट टर्टल) थे और नरोत्तम सरकार के दो थैलों में कुल 114 कछुएं (इंडियन टेंट टर्टल) मिले थे जिसमें से 2 कछुएं मरे हुये थे और बाकी जिन्दा थे। उक्त कार्यवाही के संबंध में पंचनामा प्रदर्श पी 2 बनाया गया था जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उक्त कार्यवाही के बाद विधिवत् जप्तीनामा तैयार किया था। स्वपन पॉल पिता भागीरथ पॉल से जप्त 168 नग वन्य प्राणी इंडियन टेंट टर्टल जो दो बैग (थैलों) में रखे थे तथा दो रेल्वे टिकिट क्रमांक—1 पीएनआर नंबर 2102486251 लखनउ से पैरम्बूर, क्रमांक—2 पीएनआर 4809499741 चैन्नई एगमोर से अयोध्या की थी जो आर्टिकल क्रमशः ए—1 एवं ए—2 हैं तथा स्वपन पॉल के निर्वाचन पहचान की छायाप्रति जो आर्टिकल ए—3 है जप्त किया था। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—3 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

**37.** अनिल कुमार यादव (अ.सा.1) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि उसी दौरान नरोत्तम वल्द नवोकुमार सरकार से दो बैग (थैलों) में रखे वन्य प्राणी इंडियन टेंट टर्टल कुल 114 नग जिसमें से 2 मृत अवस्था में एवं 112 जीवित अवस्था में थे, को जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—4 का तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 इटारसी जंक्शन का नजरी नक्शा प्रदर्श पी 5 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण स्वपन पॉल और नरोत्तम

सरकार को लेकर टीम सहित एसटीएसएफ कार्यालय भोपाल पहुंचे थे जहां पर उसके द्वारा उक्त दोनों आरोपियों के संबंध में पीओआर क्रमांक 237/11 दिनांक 30.09.2023 काटी गई थी, जो प्रदर्श पी-6 है जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। अभिरक्षा में लिये गये स्वपन पॉल एवं नरोत्तम सरकार की विधिवत् गिरफ्तारी मुकेश कुमार पटेल कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल द्वारा की गई थी। स्वपन पॉल की गिरफ्तारी की सूचना उसके मोबाईल क्रमांक 7693808027 से स्वपन पॉल की पत्नी श्रीमती लीलिमा पॉल के मोबाईल नंबर 8016551188 पर उसे दी गई थी तथा जिसे सूचना पत्र प्रदर्श पी 7 पर अंकित किया गया है। जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। नरोत्तम सरकार की गिरफ्तारी की सूचना उसके मोबाईल क्रमांक 7693808027 से नरोत्तम सरकार के भाई टिकू सरकार को उसके मोबाईल नंबर 8337877531 पर दी गई थी तथा जिसे सूचना पत्र प्रदर्श पी 8 पर अंकित किया गया है।

**38.** अनिल कुमार यादव (अ.सा.1) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि स्वपन पॉल के बयान उपरान्त उसे लेकर एसडीएसएफ एवं टीएसएफ नर्मदापुरम (भोपाल) की टीम अयोध्या गई थी। अयोध्या में स्वपन पॉल के बताए पते साकेत धर्मकांटा जिला अयोध्या गये थे जहां अभिषेक उर्फ राजा निवासरत् था। अभिषेक उर्फ राजा को स्थानीय वन कार्यालय मया रेंज दर्शन नगर जिला अयोध्या ले जाया गया था जहां पर उसकी जामा तलाशी ली गई थी। जामा तलाशी में अभिषेक उर्फ राजा के पास से अपने पहने हुये कपड़ों के अलावा एक नग मोबाईल रीयलमी कंपनी मॉडल सी-2 आरएमएक्स 1941 गहरे नीले रंग का, पाया गया था। जामा तलाशी प्रपत्र प्रदर्श पी 9 तैयार की गई थी। अभिषेक उर्फ राजा के पास से प्राप्त रीयलमी कंपनी के मोबाईल का आईएमईआई नंबर 860431040497774 एवं 860431040497766 जिसमें जियो कंपनी की सिम जिसका क्रमांक 9335590728 तथा आईएमएसआई नंबर 89918710100120975541 को विधिवत् जप्त कर साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-10 का तैयार किया था। अभिषेक उर्फ राजा के बयान प्रदर्श पी 11 उसके द्वारा लेख किये गये थे। अभिषेक उर्फ राजा ने अपने बयान में बताया था

कि वह दिनांक 30.09.2023 को स्वपन पॉल और नरोत्तम के साथ इटारसी ट्रेन में था तथा वहां से भाग गया था जिसने कछुओं को सुग्रीव निवासी जिला अयोध्या से लखनऊ में खरीदना बताया था। अभिषेक उर्फ राजा को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-12 का तैयार किया गया था। गिरफ्तारी की सूचना प्रदर्श पी 13 अभिषेक उर्फ राजा की माता मोती शताब्दी को देकर पावती प्राप्त की थी।

**39.** अनिल कुमार यादव (अ.सा.1) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि अभिषेक के संबंध में संयुक्त दल द्वारा कार्यवाही किये जाने पर पंचनामा प्रदर्श पी 14 तैयार किया गया था। दिनांक 01.10.2023 को माननीय न्यायालय से जप्तशुदा वन्य प्राणी इंडियन टेंट टर्टल को जीवित अवस्था में उनके प्राकृतिक आवास में मुक्त किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त कर उसी दिनांक को उन्हें सतपुड़ा टाईगर रिजर्व पार्क कामठी बीट लगदा कक्ष क्रमांक 258 में छोड़ा गया था। पंचनामा प्रदर्श पी-15 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उक्त कछुओं को छोड़े जाते समय फोटो लिये गये थे जो आर्टिकल ए-4 हैं। विवेचना एवं प्रभारी अधिकारी टाईगर स्ट्राईक फोर्स नर्मदापुरम श्री आर. एस. राजपूत ने उसके द्वारा अपराध के संबंध में की गई कार्यवाही के बयान लिये थे जो प्रदर्श पी-16 है। आरोपी स्वपन पॉल, नरोत्तम सरकार एवं अभिषेक उर्फ राजा विश्वास द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा 9, 39, 48ए, 49, 49बी, 51 एवं 57 के अंतर्गत अनुसूचित वन्य प्राणी इंडियन टेंट टर्टल (फन्गसूरा टेन्टोरिया) जो अनुसूची-1 के भाग-सी के अनुक्रमांक 49 पर अंकित है, का अपराध किया जाना पाये जाने पर परिवाद लाया गया है। प्रदर्श पी 1 लगायत 16 के ए से ए भाग पर व प्रदर्श पी 6 एवं 10 के बी से बी भाग पर भी इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

**40.** अनिल यादव (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण के दौरान बताया कि प्रदर्श पी-1 का पत्र धीरज सिंह चौहान द्वारा जारी किया गया है एवं पत्र की प्रति श्री जितेन्द्र बसंत और राजू सिंह राजपूत को दी गई है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उक्त पत्र की कोई भी प्रतिलिपि उसे प्रदान नहीं की गई

है, स्वतः कहा कि पत्र उसके नाम से ही जारी किया गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 के पत्र में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इटारसी स्टेशन पर जाकर कछुए के संबंध में कोई कार्यवाही करना है व इस पत्र प्रदर्श पी-1 के माध्यम से उसके उच्चाधिकारियों ने उसे किसी प्रकरण में कार्यवाही करने की लिए निर्देशित नहीं किया था, स्वतः कहा कि उस समय प्रकरण बना ही नहीं था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 का पत्र उसे उसके उच्चाधिकारियों ने डीआरआई भोपाल के दल के साथ संयुक्त रूप से वन्य प्राणी के अवैध परिवहन संबंधी कार्यवाही में उपस्थित रहकर सहयोग एवं कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।

**41.** अनिल यादव (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि ट्रेन नंबर 12540 की एस-1 बोगी की बर्थ क्रमांक 62, 63, 64 पर उनके द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी कि उनके द्वारा बर्थ क्रमांक 62, 63, 64 पर कौन व्यक्ति यात्रा कर रहे थे और वे कहां से कहां जा रहे थे इस संबंध में उनके दल के द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी। आर्टिकल ए-2 की टिकिट बर्थ क्रमांक 62, 63, 64 पर अंकित है वह वेटिंग टिकिट है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उक्त टिकिट आरोपी के पास से जप्त की गई है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण से लखनऊ से पैरम्बूर की एस-1 कोच के बर्थ क्रमांक 31, 32 की कोई टिकिट आरोपी से जप्त नहीं की गई है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-1 की टिकिट दिनांक 02.10.2023 के लिये चैन्नई एगमोर से अयोध्या के लिए जारी की गई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल-ए1 की टिकिट चैन्नई एगमोर से अयोध्या वापसी की टिकिट है एवं आर्टिकल ए-1 की टिकिट से ट्रेन क्रमांक 12540 दिनांक 30.09.2023 की यात्रा नहीं की जा सकती है।

**42.** अनिल यादव (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि इटारसी स्टेशन वन परिक्षेत्र में नहीं आता है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उनकी टीम ने उक्त कछुओं का शिकार या आखेट करते हुये किसी आरोपीगण को नहीं देखा था, स्वतः कहा कि वन्य

प्राणियों को कैद में रखना भी शिकार की श्रेणी में आता है। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि वह नहीं बता सकता कि प्रदर्श पी-3 एवं 4 पर आरोपीगण के जो हस्ताक्षर हैं उसकी लिपि अलग अलग भाषाओं में हैं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-3 एवं 4 की कार्यवाही करते समय उनके द्वारा किसी बंगाली ट्यूटर की भी सहायता नहीं ली गई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी राजा उर्फ अभिषेक के पास से समस्त कार्यवाही होने तक कोई भी वन्य जीव प्राप्त नहीं हुआ था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-2 में वेंटिंग क्रमांक 62, 63, 64 की इस संबंध में कोई जानकारी टीटीई से नहीं ली थी कि वह कन्फर्म हुई थी या नहीं।। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी स्वपन पॉल के लड़के राजकुमार को सिर में चोट लगने की वजह से मानसिक स्थिति ठीक न होने से इलाज चैन्नई के अस्पताल में चल रहा था।

**43.** मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.9) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 30.09.23 को टाईगर स्ट्राइक फोर्स नर्मदापुरम में कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को एसटीएसएफ के माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उसे व अनिल कुमार यादव को इटारसी रेलवे स्टेशन जाने का आदेश प्राप्त हुआ था कि डीआरआई टीम के साथ इटारसी स्टेशन पर जाकर कार्यवाही करना है। अनिल यादव टीम के साथ ही इटारसी चले गये थे। वह लगभग 4:00 बजे इटारसी पहुंचा था। आरोपी स्वपनपाल और नरोत्तम सरकार को डीआरआई की टीम ने चार बैग के साथ पकड़कर रखा था। बैगों में इंडियन टेंट टर्टल प्रजाति के कछुए मिले थे जिन्हें अनिल यादव वनरक्षक ने प्लेटफार्म क्रमांक 5 इटारसी जंक्शन पर स्वपनपाल से 168 कछुए इंडियन टेंट टर्टल प्रजाति के, दो बैग और रेलवे की दो टिकिट जिनमें से एक टिकिट लखनउ से पैरामबुर व दूसरी टिकिट चेन्नई एगमोर से अयोध्या का था और एक निर्वाचन पहचान पत्र मिला था जो उसके सामने अनिल यादव ने जप्त किया था। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 3 पर सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी को आर्टिकल ए-1 व ए-2

की टिकिट व आर्टिकल ए-3 का निर्वाचन कार्ड दिखाये जाने पर साक्षी ने कहा कि यह वही है जो स्वपनपाल से जप्त हुआ था।

**44.** मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.9) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि प्लेटफार्म नंबर 5 इटारसी जंक्शन स्टेशन पर नरोत्तम सरकार से 114 नग इंडियन टेंट टर्टल, दो नग बैग मिले थे। 114 कछुए में से 112 कछुए जीवित थे व 2 नग कछुए मृत थे जो उसके सामने अनिल कुमार यादव ने नरोत्तम सरकार से जप्त किये थे, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 4 पर सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। अनिल यादव ने मौके पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी 5 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उसके सामने पी.ओ.आर प्रदर्श पी 6 काटा गया था जिसके इ से इ भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। मौके पर उसने स्वपनपाल की जामा तलाशी ली थी जिसके पास एक नग मोबाईल सिम सहित मिला था। जामा तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी 17 है। जो मोबाईल मिला था उसे उसके समक्ष दिनेश कुमार शर्मा ने जप्त किया था जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 18 है। स्वपनपाल को उसके द्वारा गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी 19 है।

**45.** मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.9) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि उसके द्वारा आरोपी नरोत्तम सरकार की जामा तलाशी ली गयी थी जिसके पास एक नग सैमसंग कंपनी का मोबाईल सिम सहित मिला था, जिसका जामा तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी 20 है। नरोत्तम सरकार से मिले मोबाईल को उसके सामने दिनेश कुमार शर्मा वनरक्षक ने जप्त किया था। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 21 है। उसके द्वारा आरोपी नरोत्तम सरकार को गिरफ्तार किया था गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी 22 है। विवेचना के दौरान माननीय न्यायालय की अनुमति से 280 नग जीवित इंडियन टेंट टर्टल कछुओं को अनुमति उपरांत उनके प्राकृतिक आवास में निर्मुक्त किया गया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी 15 उसके समक्ष तैयार हुआ था। प्रदर्श पी 15 एवं प्रदर्श पी 17 लगायत 22 के सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

**46.** मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.9) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि इटारसी जंक्शन 4-4:30 बजे पहुंचा था एवं जब प्लेटफार्म क्रमांक 5 पर पहुंचा था उसके पूर्व उनके अधिकारियों द्वारा कोई भी जप्ती की कार्यवाही नहीं की गयी थी। वह जब मौके पर पहुंचा था तब तक उनके अधिकारियों द्वारा तथाकथित कछुओं की गिनती की जा चुकी थी और उन्हें पुनः उन्हीं बैगों में रख दिया था। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि किस बैग में कितने-कितने कछुए थे, उसके पहुंचने के करीबन आधा घंटा बाद जप्ती की कार्यवाही मौके पर की गयी थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 3 के कॉलम नंबर 1, 6, 7, 8 खाली हैं। फिर कथन किया कि कॉलम नंबर 1 में वन अपराध प्रकरण का विवरण का उल्लेख है, परंतु उस समय तक वन अपराध दर्ज नहीं हुआ था इसलिये उस कॉलम को रिक्त रखा गया था, कॉलम नंबर 7 में जप्तशुदा मोटरवाहन का विवरण है, लेकिन मौके पर संबंधित आरोपी से कोई वाहन जप्त न होने से वर्णन नहीं किया गया, कॉलम नंबर 8 इसलिये रिक्त है क्योंकि कछुए जीवित थे अगर सीलबंद करते तो कछुओं की मृत होने की संभावना थी।

**47.** मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.9) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 3 की जप्ती की कार्यवाही होने तक आरोपी स्वपनपाल व नरोत्तम की कोई जामा तलाशी नहीं ली गयी व आरोपी स्वपनपाल की जामा तलाशी पूर्व में ले ली जाती तो जप्ती पत्रक के बिंदु क्रमांक 6 की जानकारी लिख दी जाती। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-2 की टिकिट बर्थ क्रमांक 62, 63, 64 बर्थ के लिये है जो लखनउ से पैरमबुर की यात्रा के लिये जारी की गयी है, यह टिकिट वेटिंग टिकिट के रूप में जारी की गयी थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-2 की टिकिट से एस-1 कोच की बर्थ क्रमांक 31, 32 पर यात्रा नहीं की जा सकती। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-1 की जारी टिकिट चेन्नई से अयोध्या वापसी की टिकिट है एवं आर्टिकल ए-1 की टिकिट से लखनउ से चेन्नई

की यात्रा नहीं की जा सकती। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-1 की टिकिट बर्थ क्रमांक 31, 32, 33 के लिये जारी टिकिट चेन्नई से अयोध्या लौटने की टिकिट है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी नरोत्तम और स्वपनपाल से बर्थ क्रमांक 31, 32, 33 की पैरमबुर जाने की कोई टिकिट जप्त नहीं हुई थी।

**48.** प्रतीक गर्ग (अ.सा.8) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 30.09.2023 को राजस्व आसूचना निदेशालय भोपाल क्षेत्रीय इकाई भोपाल में असूचना अधिकारी के पद पर पदस्थ था। दिनांक 30.09.2023 को राजस्व आसूचना निदेशालय भोपाल क्षेत्रीय इकाई भोपाल को सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति स्वपनपाल और नरोत्तम सरकार ट्रेन क्रमांक 12540 लखनउ यशवंतपुर एक्सप्रेस के बोगी संख्या एस-1 की सीट नंबर 31 पर यात्रा कर रहे हैं। उक्त ट्रेन के इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 30.09.23 के प्रातः 10:40 बजे पहुंचने की संभावना है। उक्त दोनों व्यक्ति कुछ कछुएं बेचने के उद्देश्य से तस्करी कर ले जा रहे हैं। सूचना मिलने के पश्चात् उनके वरिष्ठ अधिकारी ने एक टीम का गठन किया जिसमें श्री क्रांतिप्रभात सिंह उपनिदेशक, डॉ. कुणाल राठौर उपनिदेशक, श्री आकाश गीत त्रिपाठी वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, श्री हरिशंकर गुर्जर आसूचना अधिकारी, श्री गौरव झाझरिया आसूचना अधिकारी, श्री महेश श्रवण हेड हवलदार एवं वह स्वयं उस टीम के सदस्य थे। गुप्त सूचना मिलने के पश्चात् उनके वरिष्ठ अधिकारी ने एसटीएसएफ भोपाल को संपर्क कर उन्हें उनके कार्यालय में बुलाया। फिर वे लोग इटारसी जंक्शन के लिये निकले। वहां पर वे लोग दिनांक 30.09.2023 को सुबह 9:30 बजे के लगभग पहुंच गये थे।

**49.** प्रतीक गर्ग (अ.सा.8) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि इटारसी रेलवे जंक्शन के बाहर दो स्वतंत्र साक्षियों को उन लोग ने सूचना से अवगत कराकर अपने आने का प्रयोजन बताकर उन्हें संपूर्ण कार्यवाही में स्वतंत्र साक्षी बनने का निवेदन किया था, वे लोग तैयार हो गये। उनसे उनने पूर्ण तलाशी करने का आग्रह किया जिसे उनने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार किया। इसके पश्चात् दोनों स्वतंत्र साक्षी प्रकरण में साक्षी बनने के लिये तैयार हो गये

और उनके साथ इटारसी स्टेशन के अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करने के उपरांत उन्हें यह पता लगा कि उक्त ट्रेन प्लेटफार्म क्रमांक 5 पर लगभग दोपहर के 2:30 बजे आने वाली है। सारे अधिकारीगण, श्री अनिल यादव फारेस्टगार्ड एवं पंचगण उक्त ट्रेन के आने की प्रतीक्षा करने लगे। उक्त ट्रेन दोपहर के लगभग 2:30 बजे प्लेटफार्म क्रमांक 5 पर आयी। ट्रेन के आने के पश्चात् वे सभी लोग ट्रेन के एस-1 कोच के अंदर गये। ट्रेन में एस-1 कोच के 31 नंबर के बर्थ पर दो लोग बैठे हुये दिखायी दिये। जिन्हें आकाशगीत त्रिपाठी ने अपना विभागीय परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया और उनके आने के संबंध में उन्हें जानकारी देकर उनसे उनका नाम व परिचय पूछा।

**50.** प्रतीक गर्ग (अ.सा.8) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि बर्थ में बैठे व्यक्ति में से एक ने अपना नाम नरोत्तम सरकार और दूसरे ने अपना नाम स्वपनपाल बताया। दोनों व्यक्तियों ने अपनी सीट के नीचे चार बैग होना बताया। बैग के अंदर के सामान के बारे में पूछने पर उसमें कछुआ होना बताया। फिर उन लोगों ने चारो बैग बाहर निकाले। उसके पश्चात् दोनों व्यक्तियों को मय बैग के साथ प्लेटफार्म क्रमांक 5 पर उतार लिया। इसके पश्चात् उनने श्री अनिल यादव जी फॉरेस्ट गार्ड से उन चारो बैग में उपस्थित कछुओं को पहचानने का आग्रह किया। जिस पर अनिल यादव ने एक-एक करके चारो बैगों से कछुओं को बाहर निकाला। जिसमें में कुल 282 कछुयें उपलब्ध थे जिसमें से 280 जीवित व 2 मृत कछुए पाये गये। अनिल यादव ने साथ ही यह भी बताया कि यह कछुए इंडियन टेंट टर्टल प्रजाति के है, जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची -I के भाग सी क्रमांक 49 के हिसाब से इनकी तस्करी किया जाना वर्जित है।

**51.** प्रतीक गर्ग (अ.सा.8) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि कुल 282 कछुए जिनमें 280 जीवित व 2 मृत थे, को मौके पर आरोपीगण से जप्त कर लिया। मौके पर घटना का पंचनामा श्री आकाशगीत त्रिपाठी ने बनाया था। पंचनामा प्रदर्श पी 2 पर सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। इसके बाद की प्रकरण की अग्रिम की विवेचना करने

हेतु एसटीएसएफ भोपाल को दोनों आरोपी, 282 कछुए और दोनों आरोपियों का सामान एसटीएसएफ को सौंप दिया था। साक्षी ने फिर कथन किया कि कछुओं के संबंध में आरोपीगण से यह पूछा गया कि क्या उनके पास इन कछुओं के परिवहन हेतु कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस उपलब्ध है तो आरोपीगणों ने इस संबंध में कोई भी दस्तावेज या लायसेंस न होना बताया।

**52.** प्रतीक गर्ग (अ.सा.8) ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसे कछुए के संबंध में सूचना आकाशगीत त्रिपाठी द्वारा सुबह 6:00 बजे दी गयी थी। सूचना उसे फोन पर प्राप्त हुई थी। सूचना मिलने के बाद वह दल के साथ लगभग 7:30 बजे भोपाल से इटारसी के लिये रवाना हुये थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि स्टेशन प्रतिबंधित क्षेत्र है बिना टिकिट लिये प्लेटफार्म पर भी जाना प्रतिबंधित है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि स्वतंत्र साक्षियों की और हमारे दल की कोई प्लेटफार्म टिकिट ली गयी थी या नहीं। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि उसे इस बात की जानकारी भी नहीं है कि उनके दल के वरिष्ठ अधिकारी ने इटारसी स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक, जीआरपी पुलिस, आरपीएफ से कोई बातचीत की थी या नहीं। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जिन लोगों को उनसे पकड़ा था उनके पास बर्थ क्रमांक 62, 63 की वेटिंग टिकिट थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनके अधिकारियों ने टीम गठित होने का कोई पंचनामा नहीं बनाया। साक्षी ने स्वतः कहा कि उनके यहां इस प्रकार का कोई पंचनामा नहीं बनता है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि स्वतंत्र साक्षियों को साक्षी बनने के लिये उनसे कोई नोटिस नहीं दिया था। फिर कथन किया कि उन्हें घटना के संबंध में प्रयोजन बतलाया था और साक्षी बनने के लिये कहा था।

**53.** आकाशगीत त्रिपाठी (अ.सा.10) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 30.09.2023 को राजस्व आसूचना निदेशालय भोपाल क्षेत्रीय इकाई भोपाल में वरिष्ठ असूचना अधिकारी के पद पर पदस्थ था। दिनांक 30.09.2023 को राजस्व आसूचना निदेशालय भोपाल क्षेत्रीय इकाई भोपाल को सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति स्वपनपाल और नरोत्तम सरकार ट्रेन

क्रमांक 12540 लखनउ यशवंतपुर एक्सप्रेस के बोगी संख्या एस-1 की सीट नंबर 31 पर यात्रा कर रहे हैं। उक्त ट्रेन के इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 30.09.23 के प्रातः 10:40 बजे पहुंचने की संभावना है। उक्त दोनों व्यक्ति कुछ कछुएं बेचने के उद्देश्य से तस्करी कर ले जा रहे हैं। सूचना मिलने के पश्चात् उनके वरिष्ठ अधिकारी ने एक टीम का गठन किया जिसमें वह उसके साथ श्री क्रांतिप्रभात सिंह उपनिदेशक, डॉ. कृपाल राठौर उपनिदेशक, श्री हरिशंकर गुर्जर आसूचना अधिकारी, श्री गौरव झाझरिया आसूचना अधिकारी, श्री महेश श्रवण हेड हवलदार एवं वह स्वयं उस टीम के सदस्य थे।

**54.** आकाशगीत त्रिपाठी (अ.सा.10) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि वे लोग टीम गठन के पश्चात् लगभग साढ़े 9 बजे इटारसी रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे थे फिर उन लोगों ने दो साक्षियों की तलाश की थी दोनों साक्षीगण उन्हें इटारसी रेलवे स्टेशन के बाहर मिले थे, साक्षियों को उसने उसका आईडी कार्ड दिखाया था फिर उसने साक्षियों को सूचना के संबंध में बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली है और वे लोग उस पर कार्यवाही करने वाले हैं आप स्वतंत्र रूप से साक्षी बन जाईयें तो फिर दोनों स्वतंत्र साक्षी के नाम उसे याद नहीं है, उसमें से एक मालवीय या साहू या पाण्डेय होगा, फिर वे लोग टीम के साथ साक्षियों को लेकर रेलवे स्टेशन के अंदर गये, उनकी टीम में एक फारेस्ट अधिकारी भी थे जो उनके साथ ही भोपाल से आए थे।

**55.** आकाशगीत त्रिपाठी (अ.सा.10) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि वे लोग प्लेटफार्म नंबर 5 पर पहुंचे, वे लोग गाड़ी नंबर 12540 का इंतजार कर रहे थे, उन्हें जानकारी मिली थी कि उस गाड़ी के बोगी नंबर एस-1 के सीट नंबर 31 पर दो व्यक्ति है जिनके नाम स्वपन पाल और नरोत्तम सरकार है, दोनों उनके साथ कछुए लेकर सफर कर रहे हैं। जिस गाड़ी का वे लोग इंतजार कर रहे थे वह गाड़ी दिन के लगभग ढाई बजे इटारसी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 पर आयी थी फिर वह दोनों साक्षियों को लेकर व टीम के सदस्यों को लेकर एक गेट से बोगी के अंदर घुसा था और दूसरे गेट से उनकी टीम के अन्य अधिकारी एस-1 कोच के दूसरे गेट से घुसे

थे, फिर वे लोग सीट नंबर 31 पर पहुंचे थे तो सीट नंबर 31 पर दो लोग बैठे थे जिन्हें उसने उसका परिचय दिया और अपना आईडी कार्ड दिखाया और उन दोनों से उनका नाम पूछा तो एक ने अपना नाम नरोत्तम व दूसरे ने अपना नाम स्वपन पाल बताया था। नरोत्तम सरकार व स्वपन पाल से पूछताछ करने पर उन लोगों ने बताया कि उनके पास कछुएं हैं जो वे 4 बैगों में लेकर सफर कर रहे हैं। बोगी में भीड़ होने लगी तो उनने उनसे आग्रह किया कि आप बैग सहित नीचे उतरइये तो वे लोग तैयार हो गये और बैग सहित प्लेटफार्म पर उतर गये और वे लोग भी उनके साथ एस-1 कोच से उतर गये थे।

**56.** आकाशगीत त्रिपाठी (अ.सा.10) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि फिर उन लोगों ने प्लेटफार्म पर बैग को खोलकर देखा तो उसके अंदर इंडियन टेन्ट टर्टल जो शेड्यूल-1 पार्ट-सी सीरियल नंबर 49 के अनुसूची में है, जो वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं, रखे हुये थे। अनुसूची की जानकारी उनके साथ आए वन विभाग के अधिकारी ने उसी वक्त मौके पर बताया था। बैग खोलकर उनने कछुओं की गिनती की थी, चारो बैग में कुल 282 कछुएं थे जिसमें से 2 कछुएं मृत हो गये थे और 280 जीवित थे। इसके पश्चात् उनने समस्त कछुओं और दोनों व्यक्तियों को उनके साथ आए वन विभाग के अधिकारी को सुपुर्द किया था। मौके का पंचनामा उसने उसके साथ लाए हुये लैपटॉप पर टाईप कर अपने साथ लाए हुये प्रिन्टर से प्रिंट किया था और स्वतंत्र साक्षी व अन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर व दोनों आरोपियों के हस्ताक्षर पंचनामा के प्रत्येक पृष्ठ पर लिये थे। पंचनामा प्रदर्श पी-2 उसके द्वारा तैयार किया गया था जिसके डी से डी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पंचनामा की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही वन विभाग के अधिकारी द्वारा की गई थी।

**57.** आकाशगीत त्रिपाठी (अ.सा.10) ने प्रतिपरीक्षण में कथन कर बताया कि मुखबिर की सूचना उसे प्राप्त नहीं हुई थी, सूचना उसके वरिष्ठ अधिकारियों को प्राप्त हुई थी। मुखबिर की सूचना किस वरिष्ठ अधिकारी को प्राप्त हुई थी, वह नहीं बता सकता है फिर स्वतः कथन किया कि गुप्त सूचना थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-1 की

टिकिट बर्थ क्रमांक 31, 32, 33 की चैन्नई से अयोध्या वापसी की टिकिट है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि इस आर्टिकल ए-1 की टिकिट से ट्रेन क्रमांक 12540 में जिसकी जांच करने के लिए वे गये थे उस ट्रेन से यात्रा नहीं की जा सकती है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि स्वतंत्र साक्षियों को उसके द्वारा कोई लिखित सूचना पत्र नहीं दिया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि जब वे लोग एस-1 कोच की सीट नंबर 31 पर पहुंचे तो वहां पर आसपास की सीट क्रमांक 32, 33, 34 पर भी अन्य यात्री यात्रा कर रहे थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि सीट क्रमांक 32, 33, 34 पर सफर कर रहे यात्रियों को इस प्रकरण के पंचनामा में साक्षी नहीं बनाया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि स्वपन पॉल और नरोत्तम को हिन्दी लिखना नहीं आता था एवं कार्यवाही के समय कोई भी बंगाली भाषी द्विभाषिया उनसे उनके साथ नहीं रखा था।

**58.** प्रदीप पाण्डेय(अ.सा.2) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह स्वपन पॉल और नरोत्तम सरकार को पहचानता है। घटना के समय ये दो ही व्यक्ति वहां उपस्थित थे। घटना दिनांक 30.09.2023 की है। ट्रेन इटारसी स्टेशन पर दो-ढाई बजे आयी थी। सुबह 10 बजे वह स्टेशन के बाहर चाय पी रहा था तब आकाशदीप व्यक्ति उसके पास आए और उसे अपना परिचय देकर अपना आईडी कार्ड दिखाया था उन्होंने उसे बताया था कि उन्हें सूचना मिली है कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से कछुओं की तस्करी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कार्यवाही के लिए पंच गवाह की आवश्यकता पड़ती है, क्या आप गवाह बनेंगे तब उसने उनकी बात से संतुष्ट होकर गवाह बनना स्वीकार किया था। वह व उसके साथ एक अन्य व्यक्ति और था जिसे उन्होंने पंच बनाया था और विभाग के 5-6 लोग थे फिर वे लोग प्लेटफार्म नंबर 5 पर पहुंचे थे। ट्रेन लगभग साढ़े 11 बजे आने वाली थी पर ट्रेन लेट हो गई थी जो लगभग ढाई बजे आयी थी। विभाग के लोग ट्रेन की स्लीपर बोगी में गये थे उन्हें जिस सीट नंबर की सूचना मिली होगी उस पर पहुंचे और दो व्यक्तियों से पूछताछ की थी जो उस सीट पर बैठे हुये थे और उनसे पूछा कि आप लोग बैग में क्या लेकर

जा रहे हैं तो उन लोगों ने बैग दिखाने से मना कर दिया था तो उन दोनों व्यक्तियों को बैग सहित प्लेटफार्म पर उतार दिया था। उन लोगों के पास 4 छोटे-छोटे कपड़े के बैग थे और उनके पास पिट्टू बैग भी थे। बैग चैक करने पर 4 हेंडबैग कपड़े के थे उसमें छोटे-छोटे कछुए भरे हुये थे। उसके बाद कछुओं की गिनती हुई थी। कछुए लगभग 280-290 नग थे।

**59.** प्रदीप पाण्डेय(अ.सा.2) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि उसके सामने दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की थी तो उन लोगों ने बताया कि वे लोग लखनउ से आ रहे हैं और वे कछुओं की तस्करी कर उन्हें बेंच देते हैं, स्वतः कहा कि जिस ट्रेन में वो लोग थे वह लखनउ से आ रही थी, दोनों व्यक्ति ट्रेन में कहा से आ रहे थे उसे नहीं मालूम है। उसके सामने पंचनामा प्रदर्श पी 2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं, फिर स्वतः कथन किया कि टीम अपने साथ लैपटॉप व प्रिन्टर लेकर आयी थी वहीं पर बैठकर उन्होंने लिखा पढ़ी की थी। वन विभाग के अधिकारी ने उसके सामने जप्तीनामा भी बनाया था। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 पर एवं प्रदर्श पी-4 पर बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने स्वपन पॉल व नरोत्तम सरकार से कछुए जप्त किये थे।

**60.** प्रदीप पाण्डेय(अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में कथन कर बताया वह भोपाल में शिवाजी नगर में रहता है एवं दिनांक 30.09.2023 को वह उसके ऑफिस नहीं गया था वह इटारसी में था। वह भोपाल से सुबह साढ़े 9 पौने 10 बजे इटारसी आ गया था, ट्रेन सुबह भोपाल से चलती है उसका नाम उसे याद नहीं है। उस दिन वह उसके रिश्तेदार के घर इटारसी आया था। वह ज्यादा देर तक स्टेशन पर नहीं रूका था स्टेशन से बाहर आ गया था। उसके रिश्तेदार इटारसी में रेलवे कॉलोनी में रहते हैं। जिनका नाम राजेन्द्र त्रिपाठी है जो जीआरपी पुलिस में हैं। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि उससे पहले पंचनामा पर हस्ताक्षर करवाये थे उसके बाद जप्तीनामा पर हस्ताक्षर करवाये थे। पंचनामें पर और जप्ती नामा पर कितने बजे हस्ताक्षर करवाये थे उसे

समय याद नहीं है, स्वतः कहा कि लगभग शाम हो गई थी। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि जिन दो व्यक्तियों को पकड़ा था वह हिन्दी स्पष्ट तौर पर नहीं बोल पा रहे थे वह बंगाली जैसी लग रही थी। मौके पर वन विभाग वालों ने किसी ट्रान्सलेटर को नहीं बुलाया था, स्वतः कहा कि उन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि उन्हें हिंदी आती है और टुकड़ों में बोल लेते हैं।

**61.** प्रदीप पाण्डेय (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में कथन कर बताया कि वह उस दिन इटारसी अपने रिश्तेदार से मिलने आया था और उस दिन वह सुबह 9-10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उसके रिश्तेदार से मिलने उनके घर नहीं गया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पूरे दिन वह वन विभाग के अधिकारी के साथ रहा था, स्वतः कहा कि जब तक उसके अंतिम हस्ताक्षर नहीं हुये तब तक वह उनके साथ था। वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों से उसकी पूर्व से कोई परिचय अथवा पहचान नहीं थी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि जब वह बाहर चाय की दुकान पर था तब वन विभाग के डीआरआई के अधिकारी द्वारा उसे अपना परिचय पत्र दिखाकर कहा था कि कुछ लोग कछुओं का अवैध परिवहन करते हुये आ रहे हैं तो तुम जप्ती के गवाह बनने को तैयार हो तो उनके साथ चलो तथा उन्होंने यह भी बताया था कि ऐसा परिवहन कानूनी अपराध है एवं साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसे उन अधिकारियों ने लिखित में सूचना पत्र कार्यवाही के दौरान नहीं दिया था, स्वतः कहा कि मौखिक ही कहा था।

**62.** प्रदीप पाण्डेय (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में कथन कर बताया कि उन अधिकारियों के परिचय पत्र देखने के बाद कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गया था और उसे ऐसा लगा था कि ये अधिकारी लोग सही बोल रहे हैं। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि वह साक्ष्य दिनांक को यह नहीं बता सकता कि उस दिन ट्रेन की किस बोगी नंबर व किस बर्थ पर वन विभाग के अधिकारियों के साथ गया था, स्वतः कहा कि स्लीपर कोच में आना है। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि उस समय बोगी के अंदर गया था। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस समय वे

बोगी के अंदर जा रहे थे तब उन्हें ट्रेन में उपस्थित टीटी भी मिला था। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि उसे याद नहीं कि उसके सामने वन विभाग के अधिकारियों ने टीटी से कोई बातचीत कर सम्पर्क किया था या नहीं व ट्रेन के बर्थ क्रमांक 61, 62, 63 पर गये थे या नहीं।

**63.** दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा.3) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 30.09.2023 को स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। अनिल कुमार यादव वनरक्षक और टीम स्वपन पॉल और नरोत्तम को इटारसी स्टेशन से पकड़कर लायी थी, इन लोगों के पास टीम को इंडियन टेंट टर्टल स्वपन पॉल से 168 और रेलवे के दो टिकिट एवं पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड एवं दूसरे आरोपी नरोत्तम सरकार के पास दो बैग में 114 कछुएं जिसमें से दो कछुएं मृत हो गये थे जो दो बैगों में थे लेकर आये थे फिर जब टीम इटारसी से भोपाल पहुंची तो कार्यालय में अपराध के संबंध में पीओआर अनिल कुमार यादव द्वारा उसके समक्ष तैयार किया था उस समय शाम को साढ़े 7 बज रहे थे। पीओआर प्रदर्श पी-6 पर सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं फिर उसके समक्ष मुकेश पटेल डिप्टी रेंजर ने स्वपन पॉल की तलाशी ली थी उसके पास इनफोकस मोबाईल 9063 जिसमें एयरटेल की सिम लगी थी मिला था। तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-17 हैं फिर उसने स्वपनपाल से इनफोकस मोबाईल एयरटेल सिम सहित जप्त किया था, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-18 है फिर मुकेश पटेल ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-19 है।

**64.** दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा.3) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि इसी प्रकार मुकेश पटेल ने फिर उसके समक्ष नरोत्तम सरकार की तलाशी ली थी उसके पास सैमसंग कंपनी का मोबाईल जे-4 एसएन जियो सिम सहित मिला था। तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-20 हैं फिर उसने नरोत्तम सरकार से सैमसंग कंपनी का मोबाईल जियो सिम सहित जप्त किया था, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-21 है। फिर मुकेश पटेल ने उसके समक्ष आरोपी नरोत्तम को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-22 है। अंकित जामौद साहब

ने उसके समक्ष मुख्यालय भोपाल में आरोपी स्वपन पॉल के कबूलियत बयान प्रदर्श पी-23 लिये है और नरोत्तम सरकार के भी बयान उसके समक्ष लिये थे जो प्रदर्श पी-24 है। जो दो कछुए मृत मिले थे उन्हें न्यायालय के आदेश से लिखा पढ़ी कर उनका नष्टीकरण किया गया था जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-25 है। आरोपी अभिषेक के कथन अंकित जामौद साहब ने धारा 50(8) के तहत उसके समक्ष लिये थे जो प्रदर्श पी-26 है। राजपूत साहब ने उससे भी उसके कथन लिये थे जो प्रदर्श पी-27 है। प्रदर्श पी 17 लगायत 27 पर ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

**65.** दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण में कथन कर बताया कि वह घटना स्थल इटारसी टीम के साथ नहीं आया था। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि उसके बयान 7 तारीख को लगभग साढ़े 11-12 बजे लिये गये थे। उसके कथन राजपूत साहब ने 24 तारीख को लिये थे उस पर उनके व उसके हस्ताक्षर थे, इसके अलावा टाईपिंग करने वाली मैडम के हस्ताक्षर थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पीओआर में डी से डी भाग पर रेंज आफीसर साहब को सूचना भेजने का उल्लेख नहीं है, स्वतः कहा कि एक ही स्थान पर उनका ऑफिस भी रहता है इसलिए उनको जानकारी रहती है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण की विवेचना नहीं की है।

**66.** दिलीप सिंह पटेलिया (अ.सा.5) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 30.09.2023 को स्टेट टाईगर स्ट्राइक फोर्स नर्मदापुरम में कार्यवाहक वनपाल के पद पर पदस्थ था। डीआरआई (राजस्व आसूचना) भोपाल, स्टेट टाईगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल एवं नर्मदापुरम की संयुक्त टीम ने इटारसी के रेल्वे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगभग शाम को 5 बजे दो आरोपी स्वपन पॉल और नरोत्तम सरकार को पकड़ा था। जिनके पास 4 बैग थे जिनमें छोटे छोटे कछुए थे। टीम के द्वारा इटारसी में कार्यवाही की गई और कार्यवाही उपरान्त आरोपीगणों को लेकर एसटीएसएफ भोपाल मुख्यालय लेकर आए थे जहां उसके समक्ष पीओआर दर्ज किया गया था।

पीओआर प्रदर्श पी-6 पर डी से डी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। कार्यालय में उपवनक्षेत्रपाल मुकेश पटेल के द्वारा आरोपी स्वपन पॉल की तलाशी ली गई थी तलाशी में उसके पास एक इन्फोकस मोबाईल मिला था। जामा तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-17 है। स्वपन पाल से उसके समक्ष इन्फोकस कंपनी का एक मोबाईल जप्त किया था, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-18 है। स्वपन पाल को उसके समक्ष गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-19 है। एसडीओ साहब ने उसके सामने स्वपन पाल से पूछताछ कर धारा 50(8) के अंतर्गत उसके बयान प्रदर्श पी 23 लिये थे। उसके समक्ष मुकेश पटेल ने दूसरे आरोपी नरोत्तम सरकार की जामा तलाशी ली थी उसके पास एक सैमसंग कंपनी का मोबाईल मिला था। जामा तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-20 है।

**67.** दिलीप सिंह पटेलिया (अ.सा.5) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि कार्यालय में दिनेश कुमार शर्मा वनरक्षक ने उसके सामने नरोत्तम सरकार से एक सैमसंग कंपनी का मोबाईल जप्त किया था जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-21 है। उसके सामने आरोपी नरोत्तम सरकार को गिरफ्तार किया था गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-22 है। उसके सामने एसडीओ साहब ने नरोत्तम सरकार से पूछताछ कर धारा 50(8) के अंतर्गत उसके बयान लिये थे जो प्रदर्श पी-24 है। प्रदर्श पी 17 लगायत 24 पर बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। वह एसटीएसएफ की टीम के साथ अयोध्या गया था जहां पर टीम के द्वारा आरोपी अभिषेक उर्फ राजा को पकड़ा गया था जहां उसके सामने अनिल कुमार यादव ने उससे पूछताछ कर उसका पूछताछ कथन लेख किया था जो प्रदर्श पी-11 है। उसके बाद अभिषेक उर्फ राजा की जामा तलाशी ली गई थी। जामा तलाशी में उसके पास एक रियलमी कंपनी का मोबाईल मिला था। जामा तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-9 है। अनिल कुमार यादव ने उसके समक्ष अभिषेक उर्फ राजा से एक रियलमी कंपनी का मोबाईल जप्त किया था जप्ती प्रदर्श पी-10 है। उसके सामने ही अभिषेक उर्फ राजा को गिरफ्तार किया था गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-12 है।

**68.** दिलीप सिंह पटेलिया (अ.सा.5) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि अयोध्या में कार्यालय मयारेंज वन परिक्षेत्र में कार्यवाही उपरान्त पंचनामा प्रदर्श पी-14 तैयार किया गया था। प्रदर्श पी 9 लगायत 12 एवं प्रदर्श पी 14 के सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान एसडीओ साहब ने सोहागपुर कार्यालय में आरोपी अभिषेक उर्फ राजा विश्वास से पूछताछ कर धारा 50 (8) के अंतर्गत उसके कबूलियत बयान उसके समक्ष दर्ज किये थे। बयान प्रदर्श पी-26 में बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। रेंजर साहब के द्वारा उसके कथन लेखबद्ध किये गये थे। उसके कथन प्रदर्श पी-42 है। 9 दिसम्बर 2023 को वह टीम के साथ अयोध्या गया था वहां पर इस प्रकरण के अन्य आरोपी सुग्रीव को पकड़ा था। उसे पकड़कर पूछताछ हेतु मयारेंज अयोध्या लेकर आए थे जहां पर उसे उसके द्वारा गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-43 है। आरोपी की जामा तलाशी उसके द्वारा ली गई थी उसके पास से पहने हुये कपड़ों के अलावा कोई भी वस्तु नहीं मिली थी। जामा तलाशी प्रदर्श पी-44 है। कार्यवाही उपरान्त कार्यवाही का पंचनामा प्रदर्श पी-45 तैयार किया गया था। आरोपी को नर्मदापुरम स्टेट टाईगर स्ट्राइक फॉर्स के कार्यालय नर्मदापुरम में एसडीओ साहब ने उससे पूछताछ कर उसके कबूलियत बयान लिये थे, जो प्रदर्श पी-46 है। प्रदर्श पी 42 लगायत 46 के ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

**69.** दिलीप सिंह पटेलिया (अ.सा.5) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सुग्रीव को गिरफ्तार करने के पहले जितनी भी कार्यवाही हुई है उसमें किसी में भी कोई विवेचना नहीं की है। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि उसे उसके वरिष्ठ अधिकारी ने 4 दिसम्बर 2023 को एक पत्र जारी किया था उसी के आधार पर वह टीम के साथ अयोध्या गया था। संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी एवं पूछताछ, पतारसी करने हेतु उन्हें भेजा था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पत्र दिनांक 04.12.2023 में पत्र के साथ संलग्न क्या क्या मिला था इस बात का उल्लेख नहीं है, स्वतः कहा कि पत्र के साथ प्रकरण की प्रति प्राप्त हुई थी। उसे पत्र के साथ क्रमांक 237/11 प्रकरण के दस्तावेज मिले थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी

स्वीकार किया है कि इस पत्र के साथ सुग्रीव के आधार कार्ड, उसकी कोई आईडेन्टी से संबंधित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे, स्वतः कहा कि सुग्रीव का मोबाईल नंबर बयानों में मिला था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि सुग्रीव की विवेचना के संबंध में जो दस्तावेज मिले थे उसमें सुग्रीव की कद, काठी का कोई विवरण नहीं था, स्वतः कहा कि आरोपी अभिषेक के मोबाईल में उसका फोटो देखा था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रकरण क्रमांक 237/11 में आरोपी के द्वारा जो कथन दिये गये थे उसी आधार पर आरोपी सुग्रीव को गिरफ्तार किया है, स्वतः कहा कि उसकी सीडीआर भी पहले ही निकाल ली थी, वन विभाग ने आमद रवानगी की कार्यवाही नहीं होती है, हर कार्यालय में अलग अलग नियम होते हैं।

**70.** दिलीप सिंह पटेलिया (अ.सा.5) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी स्वपन पाल से कितने नग कछुए जप्त हुये थे, उनकी गिनती नहीं बताई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि टीम गठित करके अध्योध्या में जाने का कोई पंचनामा तैयार नहीं किया था, स्वतः कहा कि पंचनामा तैयार नहीं होता है, आदेश दिया जाता है। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि 1 तारीख को दिन में लगभग साढ़े 11 बजे स्वपन पाल और नरोत्तम सरकार के बयान लिये थे, पहले स्वपन पाल का बयान दिया था उसके बाद नरोत्तम सरकार के बयान लिये थे, एक आरोपी के बयान लेने में लगभग 1 घंटे का समय लगा था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-23 एवं 24 पर बंगाली भाषा में हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि दोनों आरोपीगण हिन्दी समझते हैं, बोलना जानते हैं। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वह हिन्दी लिखना जानते हैं या नहीं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि दोनों आरोपीगणों के बयान के समय कोई द्विभाषीय (ट्रान्सलेटर) नहीं रखा था, स्वतः कहा कि आरोपीगण हिन्दी बोलना जानते थे।

**71.** अंकित जामोद (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 01.10.2023 को सहायक संचालक सतपुड़ा टाईगर

सोहागपुर के पद पर पदस्थ था। प्रकरण के विवेचना अधिकारी के द्वारा उसे उक्त दिनांक को स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स कार्यालय भोपाल बुलाया था, जहां उसने आरोपी स्वपन पाल से पूछताछ कर धारा 50(8) के अंतर्गत उसके कबूलियत बयान लिये थे, जिसमें उसने उसे बताया था कि वह, मुस्ताक और सुग्रीव निवासी उत्तरप्रदेश से विभिन्न प्रजातियों के कछुए लेकर पश्चिम बंगाल चाकदाह, कलकत्ता, हावड़ा, चैन्नई, तमिलनाडू आदि में सप्लाई करता है, उक्त कार्य में उसके साथ नरोत्तम सरकार, अभिषेक उर्फ राजा विश्वास भी साथ रहते हैं। कछुओं की सप्लाई मुस्ताक और सुग्रीव करते हैं। मुस्ताक, सुग्रीव और प्रवीण के कहने से कछुओं की सप्लाई करते हैं। उसके द्वारा लिया गया बयान प्रदर्श पी-23 है जिसके सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने नरोत्तम सरकार के कबूलियत बयान भी धारा 50 (8) के अंतर्गत उसके बताए अनुसार लेख किये थे, उसमें भी नरोत्तम ने उसे उक्त बातें बताई थी, जो स्वपन पॉल ने बताई थी। बयान प्रदर्श पी-24 पर सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुनः दिनांक 07.10.2023 को उनके द्वारा सहायक संचालक सोहागपुर कार्यालय में अभिषेक उर्फ राजा के कथन धारा 50 (8) के अंतर्गत उसके बताए अनुसार लिये थे, बयान में अभिषेक उर्फ राजा ने भी स्वपन पॉल, नरोत्तम सरकार, मुस्ताक, सुग्रीव के साथ मिलकर कछुओं का व्यापार करना स्वीकार किया था, जिसका कथन प्रदर्श पी-26 है जिसके सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

**72.** अंकित जामोद (अ.सा.6) ने उसके प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-24 का बयान वीरेन्द्र शर्मा द्वारा टाईप किया गया है, उसके द्वारा टाईप नहीं किया गया है। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि वह आरोपी से पूछताछ कर रहा था और जो आरोपी नरोत्तम बता रहा था वह वीरेन्द्र शर्मा टाईप कर रहे थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-24 में ऐसा नहीं लिखा है कि वह पूछताछ करता जा रहा था और वीरेन्द्र शर्मा टाईप करता जा रहा था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-24 का बयान कम्प्यूटर द्वारा टाईपशुदा है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि साक्षी दिलीप सिंह

पटेलिया और दिनेश कुमार शर्मा उनके ही विभाग के ही कर्मचारी हैं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी नरोत्तम के प्रदर्श पी-24 पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में कोई हस्ताक्षर नहीं है। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि वह नहीं बता सकता कि आरोपी के हस्ताक्षर किस भाषा हैं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी नरोत्तम का प्रदर्श पी-24 का बयान लेते समय कोई भी द्विभाषीय वहां उपस्थित नहीं था।

**73.** अंकित जामोद (अ.सा.6) ने उसके प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-23 एवं प्रदर्श पी-26 के कथनों को लेते समय उसने उनके कथन अलग कागज पर लेखबद्ध नहीं किये थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उक्त प्रकरण में उसे आरोपियों की साक्ष्य हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा अनुसंधान करने बाबत कोई अधिकार प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, फिर कथन किया कि उसे उसके उच्चाधिकारियों के द्वारा 50(8) के बयान हेतु पत्र देकर अधिकृत किया गया था, जो प्रकरण में संलग्न है। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि आरोपीगण के धारा 50 (8) के बयान लेने के लिए स्टेट टाईगर स्ट्राइक फोर्स कार्यालय भोपाल द्वारा पत्र के माध्यम से बुलाया गया था। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि उसे पत्र एक तारीख को सोहागपुर कार्यालय में मिला था। स्वतः कहा कि पर उसे फोन करके पहले ही बुला लिया था। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि वह साक्ष्य दिनांक को पत्र प्राप्त होने का समय नहीं बता सकता। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि सोहागपुर से हेडक्वार्टर छोड़ने की परमिशन अपने उच्च अधिकारियों से प्राप्त की थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि वह परमिशन का दस्तावेज इस परिवार के साथ पेश नहीं है।

**74.** डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा (अ.सा.7) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 01.10.2023 को वन्य प्राणी चिकित्सा अधिकारी के पद पर सतपुड़ा टाईगर रिजर्व नर्मदापुरम में पदस्थ था। टाईगर स्ट्राइक फोर्स नर्मदापुरम के इन्चार्ज एवं टीम उसके पास 3 कथई कलर के बक्से लेकर आये थे, जिसके पहले बक्से में 168 कछुए और दूसरे बक्से में 112 जीवित कछुए

तथा तीसरे बक्से में 2 मृत कछुए थे। दल के द्वारा उसे बताया गया कि डीआरआई आफिसर्स भोपाल की सूचना पर टीएसएफ की टीम ने दो आरोपियों से इटारसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 12540 प्लेटफार्म नंबर 5 रेलवे स्टेशन इटारसी से दिनांक 30.09.2023 को 282 नग कछुए जप्त किये थे। उसके द्वारा कछुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था जिसमें उसके द्वारा पाया गया कि ये सभी कछुए इंडियन टेन्ट टर्टल प्रजाति के थे जो कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 संशोधन 2022 की अनुसूची 1 में वर्णित है। उक्त सभी कछुओं की नापझोप करने पर उनका वजन 80 से 140 ग्राम आया था तथा उनकी लंबाई 6 से 6:5 सेंमी पाई गई एवं चौड़ाई 5 से 5:5 सेंमी थी। सभी जीवित कछुए स्वस्थ हालत में पाए गये थे जिन्हें उसके द्वारा वापिस कछुओं को उनके उपयुक्त आवास में मुक्त करने की समझाईश दी गई थी। परीक्षण के उपरान्त उसके द्वारा सभी कछुओं को टाईगर स्ट्राईक फोर्स को वापिस कर दिया था। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-47 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

**75.** डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा (अ.सा.7) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है उसके पास लाए गये कछुए कहां से लाए गये थे इसकी उसे जानकारी नहीं है, स्वतः कहा कि जहां मौके पर कछुए जप्त किये गये थे वहां पर वह मौजूद नहीं था। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि उसके द्वारा वर्ष 2010 में वन्य प्राणियों के संबंध में वाईल्ड लाईफ इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून से प्रशिक्षण लिया है तथा समय समय पर भी विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-47 में कछुओं के स्वास्थ्य परीक्षण किन विधियों पर किया था उसका उल्लेख नहीं किया है, स्वतः कहा कि साधारणतः जानवर अथवा वन्य जीव को मुक्त करने के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तथा वह खुले वातावरण में छोड़ने योग्य है या नहीं इस आशय का उल्लेख कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जो कि उसके द्वारा की गई है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि वह पशु चिकित्सक होकर विशेषज्ञ की श्रेणी में आता हूं।

**76.** विनोद सिंह (अ.सा.11) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 10.12.2023 को टाईगर स्ट्राइक फोर्स नर्मदापुरम प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उसका पद सहायक वन संरक्षक का है। उक्त दिनांक को एसटीएसएफ के स्टॉफ के द्वारा वन अपराध क्रमांक 237/11, दिनांक 30.09.2023 में पकड़े गये आरोपी सुग्रीव गौंड पिता रमाशंकर गौंड को उसके समक्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधित 2022) धारा 50(8) के अंतर्गत कथन लेने हेतु उसके समक्ष आए थे। उसने नर्मदापुरम के स्टेट टाईगर स्ट्राइक फोर्स के कार्यालय में सुग्रीव के कथन लिये थे, कथन के समय उसके कार्यालय के दिलीप पटेलिया वनपाल और दिनेश शर्मा उपस्थित थे और वंदना शर्मा वनरक्षक टाइपकर्ता के रूप में उपस्थित थी, उसने इन सभी के सामने सुग्रीव से पूछताछ की थी, उसने उसे बताया था कि वह अयोध्या में रहता है और सरयु एवं टेड़ी नदी से कछुए एवं मछली पकड़ता है और इसके साथ-साथ फूलों का व्यापार और फूलों की माला भी बेचता है। कछुओं को वह एक व्यक्ति मुस्ताक जो जौनपुर का है उनको बेचता था। 7-8 वर्ष से वह यह कार्य कर रहा है। सुग्रीव ने उसे बताया था कि मुस्ताक कछुए का मुख्य व्यापारी है जो स्थानीय लोगों से व उससे इकट्ठा करके पश्चिम बंगाल कोलकाता भिजवाता था।

**77.** विनोद सिंह (अ.सा.11) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि सुग्रीव ने उसे बताया कि वह मुस्ताक से कछुए लेकर जब कोलकाता जाता था तब उसकी वहां मुलाकात स्वपन पॉल से हुई थी। सुग्रीव ने उसे बताया कि वह स्वपन पॉल से सीधे बात करने लगा और कछुए पकड़कर स्वपन पॉल को देने लगा था। स्वपन पॉल ने ही सुग्रीव को नरोत्तम सरकार से पहचान करवाई थी वह भी कछुए के धंधे में लगा था। सुग्रीव ने उसे बताया कि वह 29.09.2023 को स्वपन पॉल, नरोत्तम सरकार, सुग्रीव के घर अयोध्या में आए थे उसी समय अयोध्या का ही एक व्यक्ति राजा विश्वास सुग्रीव के घर आया था और कछुओं की मांग की थी फिर सुग्रीव ने कहा कि "आप लोग लखनउ पहुंचों मैं माल लेकर आता हूं।" सुग्रीव ने उसे बताया कि राजा विश्वास, स्वपन पॉल व नरोत्तम तीनों वहां से चले गये और सुग्रीव उसी दिन

शाम को चार बाग मेट्रो स्टेशन पर थैलों में कछुओं को लेकर पहुंचा था और जाकर कछुए से भरे थैले नरोत्तम सरकार, स्वपन पॉल और राजा विश्वास को दे दिये थे, स्वपन पॉल ने उसे 7 हजार रूपये दिये और बाकी के माल पहुंचने के बाद देना बताया था, उसके बाद तीनों लखनउ स्टेशन चले गये थे।

**78.** विनोद सिंह (अ.सा.11) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि सुग्रीव ने उसे बताया कि उसे बाद में मालूम चला कि स्वपन पॉल व नरोत्तम सरकार को कछुओं के साथ इटारसी स्टेशन पर पकड़ लिया है तो वह छुपकर रहने लगा था। उसने उसे बताया कि 09.12.2023 को वन विभाग के स्टॉप ने उसे अयोध्या में पकड़ लिया और उसे यहां पर ले आए थे उससे पहले उसे अयोध्या के वन विभाग में भी ले गये थे। जब उसने सुग्रीव से पूछा कि कछुए बेंचना व पकड़ना अपराध है तो उसने अपराध करना स्वीकार किया था। उसके द्वारा सुग्रीव का लिया गया बयान प्रदर्श पी-46 है जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

**79.** विनोद सिंह (अ.सा.11) ने उसके प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसे सुग्रीव का बयान लेने से पहले प्रकरण की डायरी नहीं मिली थी एवं बयान लेने से पहले क्या-क्या विवेचना हुई थी उसका उसने कोई अवलोकन नहीं किया था। उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण के दौरान पूछा गया कि अगर पूर्व के विवेचक द्वारा सुग्रीव से बयान से पहले जप्ती की कार्यवाही एवं पंचनामा की कार्यवाही, गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई थी तो उसकी आपको जानकारी है या नहीं तो उसने उत्तर दिया कि जिस स्टॉफ के द्वारा सुग्रीव को लाया गया था उसे स्टॉफ से उसने सुग्रीव से संबंधित अभिलेख देखे थे। उसने गिरफ्तारी व पंचनामा की कार्यवाही देखी थी। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि साक्ष्य दिनांक को उसे याद नहीं है कि उसमें क्या लिखा था व उस पंचनामा अनुसार सुग्रीव से किसी भी प्रकार की चीज, जीव जन्तु जप्त हुआ था या नहीं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि सुग्रीव के बयान लेते समय उसने किसी भी स्वतंत्र साक्षी को नोटिस देकर उपस्थित नहीं कराया था, स्वतः कहा कि आरोपी बाहर का था इसलिए कोई आवश्यकता नहीं थी।

**80.** विनोद सिंह (अ.सा.11) ने उसके प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके पास जब सुग्रीव को लाए थे तब लाने वाले अधिकारियों ने उसे कोई आवेदन सुग्रीव का बयान लेने के संबंध में नहीं दिया था, स्वतः कहा कि उन लोगों ने मौखिक रूप से उसके समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि आप इसका कथन अंकित करें। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-46 के कथन में जो साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किये हैं वह उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने सुग्रीव के कोई भी कथन हाथ से नहीं लिखे थे, स्वतः कहा कि वह उससे पूछता जा रहा था और टाईप करवाता जा रहा था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-46 का बयान वंदना शर्मा ने उसके बोलने पर टाईप किये हैं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसके बोलने पर वंदना शर्मा द्वारा टंकित किया गया ऐसी टीप प्रदर्श पी-46 में नहीं लगी है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में पहली बार उसके बयान हो रहे हैं, इसके पूर्व उसके कोई बयान नहीं हुये थे।

**81.** अभिलेख में संलग्न सी.डी. को खुले न्यायालय में न्यायालय के कम्प्यूटर में परिचालित किया गया। परिचालन के दौरान नरोत्तम सरकार की जियो प्रिपेड कस्टमर एप्लीकेशन, स्वपनपॉल, सुग्रीव गौंड, श्रीनिवास विश्वास का एयरटेल न्यू कनेक्शन का फार्म डाटा एवं आरोपीगण के मोबाईल सिम से बातचीत करने का डाटा मिला।

**82.** अब प्रश्न यह है कि क्या उक्त प्रकरण में अभियुक्त स्वपन पॉल व नरोत्तम ने दिनांक 30.09.2023 को इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 5 पर उनके आधिपत्य में रखे बैगों से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I के भाग C के अनुक्रमांक 49 पर दर्ज एवं CITES (Convention on international Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora) की परिशिष्ट II के अनुक्रमांक 275 पर दर्ज दुर्लभ प्रजाति के इंडियन टेंट टर्टल कछुएं आरोपी स्वपनपॉल 168 नग व नरोत्तम 112 नग जीवित व 02

नग मृत व्यापार करने के आशय से अपने आधिपत्य में रखे पाये गये एवं उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I के भाग C के अनुक्रमांक 49 पर दर्ज एवं CITES (Convention on international Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora) की परिशिष्ट II के अनुक्रमांक 275 पर दर्ज दुर्लभ प्रजाति के इंडियन टेंट टर्टल कछुएं का बैग में रखकर अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया एवं क्या अभियुक्त सुग्रीव एवं अभिषेक उर्फ राजा ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विभिन्न प्रजाति के कछुओं का अंतर्राज्यीय स्तर पर विभिन्न स्थानों पर अवैध व्यापार/परिवहन बिना अनुज्ञप्ति के किया?

**83.** साक्ष्य के कमबंधन के समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि विचारित आरोपीगण के आरोपों के संबंध में वन विभाग के साक्षीगण, चिकित्सक साक्षी एवं प्रकरण के एकमात्र स्वतंत्र साक्षी प्रदीप पाण्डेय (अ.सा.2) ने अभियोजन का समर्थन किया है। अनिल कुमार यादव (अ.सा.1) जिनको स्टेट टाईगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा प्रदर्श पी 1 के पत्र द्वारा वन्य प्राणी अपराध के संबंध में दिनांक 30.09.2023 को मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.9) के साथ कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत किया गया था एवं जिनके समक्ष आकाशगीत त्रिपाठी (अ.सा.10) द्वारा घटना स्थल रेलवे स्टेशन का पंचनामा प्रदर्श पी 2 तैयार किया गया था। उस संबंध में अनिल कुमार यादव (अ.सा.1) के द्वारा इस प्रकरण में आरोपी स्वपन पॉल एवं नरोत्तम से क्रमशः जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 3 एवं 4 के अनुसार प्रश्नगत कछुएं एवं आर्टिकल ए-1 व 2 रेल यात्रा रिजर्वेशन टिकिट, इटारसी रेलवे स्टेशन का नजरी नक्शा प्रदर्श पी 5, आरोपीगण के संबंध में पी.ओ.आर प्रदर्श पी 6 लेख करना, आरोपी अभिषेक से मोबाईल जप्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी 10 एवं आरोपी अभिषेक उर्फ राजा की गिरफ्तारी कार्यवाही प्रदर्श पी 12 को अपने न्यायालयीन कथनों में प्रमाणित कर अभियोजन कहानी का समर्थन किया गया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य में बचाव पक्ष द्वारा कोई महत्वपूर्ण त्रुटि/विरोधाभास को अभिलेख पर नहीं लाया गया है।

**84.** वन्यजीव अपराध में पीड़ित/पक्षकार अर्थात् वन्यजीव बेजुबान निरीह जीव होता है, जो कि मानव अपराध की दशा अनुसार स्वयं की पीड़ा किसी अन्य से या किसी फोरम पर व्यक्त कर पाने में सक्षम नहीं होता है और न ही संबंधित अपराध की प्रकृति ऐसी होती है कि उसके संबंध में घटना स्थल का कोई रहवासी या अन्य कोई चक्षुदर्शी साक्षी या प्रत्यक्ष साक्षी मिल पाना संभव नहीं होता, किंतु उक्त प्रकरण में वन विभाग द्वारा आरोपीगण स्वपनपॉल एवं नरोत्तम सरकार के आधिपत्य से प्रश्नगत कछुएं घटना दिनांक को जप्त किये है जिसकी पुष्टि स्वतंत्र साक्षी प्रदीप पाण्डेय (अ.सा.2) के द्वारा न्यायालयीन कथनों में प्रमाणित पंचनामा प्रदर्श पी 2 एवं प्रदर्श पी 3 व 4 के जप्ती पत्रक से भी होती है। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण स्वपन पाल व नरोत्तम द्वारा की गई संस्वीकृति प्रदर्श पी 23 एवं 24 लिखित में है, जो सक्षम वन अधिकारी के द्वारा दर्ज की गई, उस पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर भी लिये गये है और उक्त संस्वीकृतिजन्य कथनों के बारे में सक्षम वन अधिकारी अंकित जामोद (अ.सा.6) द्वारा वन कर्मचारी दिलीप सिंह पटेलिया (अ. सा.5) व दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा.3) के समक्ष लेखबद्ध किया जाना बताया गया है। बचाव पक्ष द्वारा ऐसी प्रतिरक्षा या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि अभियुक्तगण स्वपनपॉल और नरोत्तम द्वारा उक्त संस्वीकृति किसी धमकी, वचन और उत्प्रेरेणा के अधीन की गयी हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के उक्त संस्वी कृति कथन साक्ष्य में सुसंगत होकर प्रकरण में ग्राह्य किये जाने योग्य है।

**85.** अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आरोपीगण स्वपनपॉल व नरोत्तम के धारा 50(8) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के संस्वीकृतिजन्य कथन के आधार पर आरोपी अभिषेक उर्फ राजा विश्वास एवं सुग्रीव गौंड के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर आरोपीगण को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के पश्चात् आरोपी सुग्रीव गौंड ने उसके संस्वीकृतिजन्य कथन प्रदर्श पी 46 एवं अभिषेक उर्फ राजा विश्वास ने उसके संस्वीकृतिजन्य कथन प्रदर्श पी 26 में कछुओं का व्यापार करना स्वीकार किया है। अभियोजन द्वारा आरोपीगण के आपस में संबंध होने के संबंध में आरोपीगण की आपस में बातचीत करने की

कॉल की डिटेल्स की सारांश रिपोर्ट प्रदर्श पी 36, प्रदर्श पी 48 जो कि उनके पास से जप्तशुदा मोबाईल से एकत्रित कर प्रस्तुत की गयी है, जिससे उक्त आरोपीगण का आपस में संबंध होना स्पष्ट दर्शित होता है। उक्त संबंध में आरोपीगण द्वारा उक्त बिंदु पर कोई चुनौती नहीं दी गयी कि उक्त आरोपीगण की किस संबंध में एक-दूसरे से बातचीत होती थी।

**86.** बचाव पक्ष का यह तर्क है कि अभियुक्तगण के द्वारा दिये गये कथनों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 50 (8) के अंतर्गत अपराध का अन्वेषण करने के लिये अन्वेषण अधिकारी साक्ष्य ग्रहण कर सकता है और अभिलिखित कर सकता है और ऐसी साक्ष्य पश्चातवर्ती विचारण में ग्राह्य मानी गई है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के कथन लेखबद्ध किये गये हैं वे सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किये गये हैं। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियुक्तगण के कथन उन्हें डरा धमकाकर लेखबद्ध किये गये हैं। अभियुक्तगण के कथन जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किये गये हो वे साक्ष्य में ग्राह्य होंगे। इस संबंध में निम्न न्यायदृष्टांत-**फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर बनाम अबोदकर 1989 के.एच.सी. 201 एवं कुरकली व अन्य बनाम फोरेस्ट रेंजर आफिसर व अन्य 2012 के.एच.सी. 231 अनुकणीय है** जिनमें यह निश्चित किया गया है कि सक्षम अधिकारी जो कि पुलिस अधिकारी नहीं है के द्वारा अभिलिखित अभियुक्त के संस्वीकृति कथन साक्ष्य में ग्राह्य है।

**87.** अधिनियम की धारा 50 (8) के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा दिया गया कथन न्यायेतर स्वीकारोक्ति (Extra judicial Confession) की श्रेणी में आता है तथा न्यायेतर स्वीकारोक्ति (Extra judicial Confession) यद्यपि एक कमजोर साक्ष्य की श्रेणी में आता है, किन्तु उसके आधार पर भी दोषसिद्धी की जा सकती है यदि यह प्रमाणित हो जाये कि उक्त स्वीकारोक्ति स्वेच्छयापूर्वक की गई है। इस प्रकार न्यायेतर स्वीकारोक्ति (Extra judicial Confession) को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उक्त न्यायेतर स्वीकारोक्ति (Extra

judicial Confession) की साक्ष्य के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत पवन कुमार चौरसिया बनाम बिहार राज्य 2023 के.एच.सी. 6253 में प्रतिपादित सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण में अन्य साक्ष्य को ध्यान में रखते हुये यह निष्कर्ष देना है कि अभियुक्तगण के कथनों की संपुष्टि अभिलेख पर आने वाली अन्य साक्ष्य से हो रही है या नहीं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन ने प्रकरण में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य (घटना स्थल पर जप्त कछुएं एवं रेल यात्रा रिजर्वेशन टिकिट जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 एवं 4 अनुसार) से एवं प्रश्नगत कछुएं वन प्राणी जीव का परीक्षण कराकर चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी 47 से भी आरोपीगण के विरुद्ध विरचित आरोपों की पुष्टि की है।

**88.** अभियुक्तगण की स्वीकारोक्ति कथन वन अधिकारीगण वन विभाग के समक्ष दिये गये है, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य है। इस संबंध में माननीय केरला उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत फारेस्ट रेंज आफिसर चुंगाधारा रेंज वि० अप्पू बकर एवं अन्य 1989 क्रिमिनल ला जर्नल 2038 अवलोकनीय है। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि “वन विभाग के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है, इसलिए उनके समक्ष किए गए स्वीकारोक्ति कथन साक्ष्य में ग्राह्य है। वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में फारेस्ट आफिसर पर विनिर्दिष्ट संदर्भों में केवल पुलिस अधिकारी की कुछ शक्तियां प्रदान की गयी है, सभी शक्तियां नहीं दी गई है। इसलिए उनके समक्ष की गई अपराध की स्वीकारोक्ति से धारा 25 साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगी और धारा 25 साक्ष्य अधिनियम बाधक नहीं बनेगी।”

**89.** अभिलेख पर अभियोजन साक्षीगण एवं अभियुक्तगण के संस्वीकृतिजन्य कथनों की संपुष्टि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियुक्तगण द्वारा आपस में हुई बातचीत की विवरण रिपोर्ट एवं जप्त हुये कछुओं से होती है, जिनकी कडियां आपस में एक दूसरे से मोतियों की माला की भांति आपस में जुड़ रही है। जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा उनको अभिरक्षा में लिए जाने की दिनांक एवं उसके पूर्व के वर्षों में उक्त अपराध में संलिप्त सह

अभियुक्तगण तथा फरार अभियुक्तगण के साथ मिलकर कछुओं की अवैध तस्करी हेतु कार्यरत् अंतरराज्यीय सदस्य के गिरोह के रूप में कार्य कर वन्यजीव का अवैध व्यापार बिना वैध अनुज्ञप्ति के किया।

**90.** आरोपीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया है कि रेंज अधिकारी राजू सिंह राजपूत (अ.सा.4) को उक्त अधिनियम की शक्तियों के अंतर्गत परिवाद पेश करने की अधिकारिता नहीं है। वह परिवाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। उक्त संबंध में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 55 (ग) के अंतर्गत रेंज अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है। मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क. एफ 15-29-2001-X -2, दिनांक 22.01.2002 के द्वारा धारा 55 (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी रेंज आफिसर को सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता दी गई है एवं परिवादी श्री राजू सिंह राजपूत वनक्षेत्रपाल प्रभारी अधिकारी टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश कमांक एफ 15-24/06/10-2 दिनांक 03.08.2006 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्य प्रदेश के आदेश कमांक/ 189 दिनांक 22.08.2006 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत है। अतः आरोपीगण की ओर से दिया गया तर्क मान्य योग्य नहीं है।

**91.** अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है एवं स्वपनपॉल एवं नरोत्तम उक्त घटना दिनांक को ईलाज करवाने के लिये चेन्नई जा रहे थे। उक्त संबंध में बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकी कि विवेचना अधिकारियों की आरोपीगण से कोई व्यक्तिगत रंजिश/द्वेष रहा हो, जिसके आधार पर आरोपीगण को उक्त प्रकरण में संलिप्त किया गया है, वन विभाग के सभी सदस्य शासकीय कर्मचारी, अधिकारी हैं। उनकी अभियुक्तगण से कोई रंजिश प्रमाणित नहीं है। वन विभाग के कर्मचारी द्वारा लोक सेवक के कर्तव्य के निर्वहन में कार्य किया गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। उक्त संबंध में स्वयं अभियुक्तगण स्वपन पॉल व

नरोत्तम ने अभियुक्त परीक्षण के दौरान बताया कि उस दिन वे ट्रेन के एस-1 कोच में सीट नंबर 61, 62 व 63 पर यात्रा कर रहे थे, वे ईलाज के लिये चेन्नई जा रहे थे, बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्त स्वपनपॉल एवं नरोत्तम के स्वयं या किसी संबंधी/नातेदार के ईलाज के संबंध में कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं एवं न ही उनकी ओर से डॉक्टर से परामर्श के लिये पहले से कोई समय लिया हो इस संबंध में भी कोई साक्ष्य बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**92.** आरोपीगण स्वपनपॉल एवं नरोत्तम की ओर से अधिवक्ता ने बचाव में व्यक्त किया कि उन्हें हिंदी भाषा बोलनी एवं समझनी नहीं आती है, उक्त संबंध में इस न्यायालय द्वारा आरोपीगण से अभियुक्त परीक्षण के दौरान एवं नियत पेशी दिनांको पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के दौरान हिंदी में प्रश्न किये गये जिनका आरोपीगण द्वारा स्पष्ट हिंदी में जवाब दिया गया है, उक्त संबंध में बचाव पक्ष की ओर से तर्क मान्य योग्य नहीं है।

**93.** उक्त अपराध से संबंधित सभी आरोपीगण के बीच एक ऐसी कड़ी दर कड़ी विद्यमान थी और उसी कड़ी के क्रमबंधन में आरोपीगण कछुओं का व्यापार/परिवहन किया करते थे। प्रकरण में आई अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन अपने मामले को अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि स्वपन पॉल व नरोत्तम ने दिनांक 30.09.2023 को इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 5 पर उनके आधिपत्य में रखे बैगों से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I के भाग C के अनुक्रमांक 49 पर दर्ज एवं CITES (Convention on international Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora) की परिशिष्ट II के अनुक्रमांक 275 पर दर्ज दुर्लभ प्रजाति के इंडियन टेंट टर्टल कछुएं आरोपी स्वपनपॉल 168 नग व नरोत्तम 112 नग जीवित व 02 नग मृत व्यापार करने के आशय से अपने आधिपत्य में रखे पाये गये एवं उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची

I के भाग C के अनुक्रमांक 49 पर दर्ज एवं CITES (Convention on international Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora) की परिशिष्ट II के अनुक्रमांक 275 पर दर्ज दुर्लभ प्रजाति के इंडियन टेंट टर्टल कछुएं का बैग में रखकर अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया एवं अभियुक्त सुग्रीव एवं अभिषेक उर्फ राजा ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विभिन्न प्रजाति के कछुओं का अंतर्राज्यीय स्तर पर विभिन्न स्थानों पर अवैध व्यापार/परिवहन बिना अनुज्ञप्ति के किया ।

**94.** परिणामस्वरूप अभियुक्तगण स्वपन पॉल एवं नरोत्तम सरकार को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2006) की धारा 48ए, 44, 49/51 एवं अभिषेक उर्फ राजा एवं सुग्रीव गौंड को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2006) की धारा 44, 49/51 दोषी पाते हुये दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। कारित अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुये अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

**95.** अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिये प्रकरण थोड़ी देर बाद पेश हो।

**सही/—**

फिरोज अख्तर  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
नर्मदापुरम

**पुनश्च:—**

**96.** अभियुक्तगण व उनके अधिवक्ता एवं अभियोजन को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण एवं उनके अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि

अभियुक्तगण गरीब परिस्थिति के व्यक्ति हैं। वे वर्ष 2023 से विचारण का सामना कर रहे हैं एवं अभियुक्तगण स्वपनपॉल एवं नरोत्तम सरकार एक वर्ष से अधिक अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्तगण की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि उनका यह प्रथम अपराध है अभियुक्तगण आदतन अपराधी नहीं है। उन्हें परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया है। अतः उनके प्रति सद्भावना दिखाई जाये एवं कम से कम सजा से दण्डित किया जाये। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि वन्यप्राणी अपराध विश्व स्तर पर चौथे संगठित अपराध की श्रेणी में दर्ज है। वन्यप्राणी कछुआ जलीय पारिस्थितिक तंत्र का अटूट हिस्सा है। वन्यप्राणी इंडियन टेंट टर्टल दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है, जो भारत के कुछ विशेष स्थलों पर ही पाया जाता है। अतः आरोपीगण को कठोर से कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

**97.** प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्तगण स्वपन पॉल व नरोत्तम दिनांक 30.09.2023 को इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 5 पर उनके आधिपत्य में रखे बैगों से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I के भाग C के अनुक्रमांक 49 पर दर्ज एवं CITES (Convention on international Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora) की परिशिष्ट II के अनुक्रमांक 275 पर दर्ज दुर्लभ प्रजाति के इंडियन टेंट टर्टल कछुएं आरोपी स्वपनपॉल 168 नग व नरोत्तम 112 नग जीवित व 02 नग मृत व्यापार करने के आशय से अपने आधिपत्य में रखे पाये गये एवं दुर्लभ प्रजाति के इंडियन टेंट टर्टल कछुएं का बैग में रखकर अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया एवं अभियुक्त सुग्रीव एवं अभिषेक उर्फ राजा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विभिन्न प्रजाति के कछुओं का अंतर्राज्यीय स्तर पर विभिन्न स्थानों पर अवैध व्यापार/परिवहन बिना अनुज्ञप्ति के किया। अतः प्रकरण की परिस्थिति और अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपीगण को अपराधी परिवीक्षा विधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

**98.** अतः प्रकरण की उपरोक्त परिस्थिति एवं कारित अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुये उक्त प्रावधानों के आलोक में अभियुक्त स्वपन पॉल एवं नरोत्तम सरकार को इंडियन टेंट टर्टल कछुएं का अपराध अनुसूची 1 के अंतर्गत होने से वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2006) की धारा 48ए, 44, 49/51 (1) के परंतुक के अंतर्गत वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित, 2006) के अधीन 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और 25,000-25,000/- रुपये (पच्चीस हजार-पच्चीस हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को 6-6 मास का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे एवं अभिषेक उर्फ राजा एवं सुग्रीव गौंड को इंडियन टेंट टर्टल कछुएं का अपराध अनुसूची 1 के अंतर्गत होने से वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2006) की धारा 44, 49/51 (1) के परंतुक के अंतर्गत वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित, 2006) के अधीन आरोपों में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और 25,000-25,000/- रुपये (पच्चीस हजार-पच्चीस हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को 6-6 मास का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे। निरोध में व्यतीत की गयी अवधि को मूल कारावास की सजा में समायोजित किया जावे।

**99.** प्रकरण में अभियुक्त स्वपनपाल व नरोत्तम न्यायिक अभिरक्षा में है एवं अभियुक्त अभिषेक उर्फ राजा एवं सुग्रीव गौंड जमानत पर है। अभियुक्तगण अभिषेक उर्फ राजा एवं सुग्रीव गौंड के पूर्व के जमानत, मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण अभिषेक उर्फ राजा एवं सुग्रीव गौंड को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जावे। सभी अभियुक्तगण का सजा वारंट तैयार किया जाकर उन्हें सजा भुगताये जाने हेतु केन्द्रीय जेल, नर्मदापुरम भेजा जावे।

**100.** प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जावे। तत्संबंध में द.प्र.स की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र बनाया जाकर अभिलेख में संलग्न किया जावे तथा उक्त प्रमाण पत्र निर्णय का भाग रहेगा।

(64)

**RCT No. -1142/2023**  
**म0प्र0 राज्य विरुद्ध स्वपन पॉल व अन्य**

101. प्रकरण में परिवाद पत्र अनुसार आरोपी प्रबीर दास पूर्व से फरार है। अतः प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है। प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ अभिलेखागार में जमा किया जावे।

102. अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित।

सही /—  
फिरोज अख्तर  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
नर्मदापुरम, (म.प्र.)

सही /—  
फिरोज अख्तर  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
नर्मदापुरम, (म.प्र.)

Continued Page No ()